

मांग संख्या .  
मुख्य शीर्ष 2049

**मद क्रमांक 1**

12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित राज्य आयोजना कर्जों पर ब्याज भुगतान करने के लिये रुपये 3,84,78,19,400 का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,84,78,19,400 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या ..  
मुख्य शीर्ष 6004

**मद क्रमांक 1-2**

अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को आवास गृह अग्रिम हेतु रुपये 7.00 लाख एवं 12वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार समेकित कर्जों के लिये रुपये 3,63,05,97,200 कुल राशि रुपये 3,63,12,97,200 का व्यय संभावित है। उक्त राशि की व्यवस्था बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु क्रमशः रुपये 100 एवं 100 के प्रतीक अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 01  
मुख्य शीर्ष 2012

**मद क्रमांक 1 - 2**

माननीय राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता मद में स्वीकृत बजट के विरुद्ध रुपये 35.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 5**

महामहिम राज्यपाल सचिवालय के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता एवं चिकित्सा व्यय में वर्ष के दौरान रुपये 39.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 39,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2013

**मद क्रमांक 6**

माननीय मंत्रिगणों के वेतन अंतर्गत चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में वर्ष के दौरान रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

मंत्रियों के स्वेच्छानुदान मद में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान रुपये 360.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2051

**मद क्रमांक 8 - 9**

म.प्र. लोक सेवा आयोग इंदौर के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के वेतन भत्ते में रुपये 18.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

**मद क्रमांक 10**

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर के भुगतान हेतु रुपये 75.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2055

### मद क्रमांक 11 - 13

महानिदेशक राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता में स्वीकृत राशि के विरुद्ध रुपये 130.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2059

### मद क्रमांक 14 - 15

मुख्य तकनीकी परीक्षक के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि मदों में स्वीकृत बजट के विरुद्ध रुपये 36.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 36,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

### मद क्रमांक 16 - 21

प्रशासन अकादमी के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 59.23 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 59,23,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 22 - 24

लोकायुक्त संगठन के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान एवं वाहन अनुरक्षण मद में रुपये 268.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,68,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

### मद क्रमांक 25

प्रशासन अकादमी के अंतर्गत प्रशिक्षण पर आने वाले निशक्त प्रशिक्षणार्थियों हेतु 03 पेसेन्जर लिफ्ट स्थापित करने हेतु रुपये 57,87,500 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 57,87,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 02

मुख्य शीर्ष 2070

### मद क्रमांक 1

विशेष जांच आयोग अन्तर्गत वर्ष को दौरान चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति मद में रुपये 8.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 03

मुख्य शीर्ष 2055

### मद क्रमांक 1 - 3

क्षेत्रीय महानिरीक्षक तथा संभाग स्थापना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 25.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4 - 11

निर्देशन और प्रशासन के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान, चिकित्सा प्रतिपूर्ति एवं सामग्री एवं पूर्तियां हेतु रुपये 935.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 12 - 18

अन्य पुलिस प्रशिक्षण शालाये के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स एवं चिकित्सा प्रतिपूर्ति भुगतान हेतु रुपये 635.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,35,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 19 - 20

शिक्षा और प्रशिक्षण के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 95.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 95,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 21 - 28

अ.अ.वि. के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान गोपनीय सेवा व्यय एवं मशीने और संयंत्र हेतु रुपये 1270.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,70,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 29 - 32

संचालक, लोक अभियोजन के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, ग्रेड पे आदि में स्वीकृत बजट के विरुद्ध रुपये 118.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 33 - 39

पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान चिकित्सा प्रतिपूर्ति, मशीन एवं उपकरण का अनुरक्षण तथा सामग्री पूर्तियां हेतु रुपये 7019.77 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,19,77,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 40 - 43

पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 3.90 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 44 - 47

पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 142.00 लाख की अतिरिक्त

आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,42,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 48 - 51**

पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 4.60 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 52 - 55**

पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 910.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 56 - 59**

पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 30.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 60 - 62**

पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 100.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 63 - 64**

प्रमुख डाक घर जबलपुर के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 2.06 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 65 - 68**

पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 15.25 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 69 - 83**

पुलिस मुख्यालय के जिला स्थापना अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान पारितोषिक, पुरस्कार, सम्मान, कार्यालय व्यय, व्यावसायिक सेवाओं हेतु अदायगियां, सामग्री एवं पूर्ति, अन्य प्रभार, मंडला समागम एवं मशीने एवं संयंत्र हेतु रुपये 245.31 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,45,31,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 84 - 87**

पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 3.60 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 88 - 89

भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सिपाहियों की विशेष सहयोगी पुलिस फोर्स का गठन किया गया है। इस पर रुपये 340.73 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,40,73,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 90

पुलिस मुख्यालय के अंतर्गत ग्राम रक्षा समितियों के सदस्यों को कर्तव्य के दौरान मृत्यु होने पर अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने हेतु राशि रुपये 10.00 लाख का व्यय होना संभावित है। व्यय की पूर्ति अन्य मद से संभावित बचतों से की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 91 - 92

ग्राम रमा समितियों के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 9.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 93 - 98

पर्यवेक्षक रेल पुलिस इंदौर के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 380.45 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,80,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 99 - 101

पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द जबलपुर के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 825.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 102 - 105

पुलिस कर्मियों का कल्याण के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 141.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,41,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 106

वेतार कम्प्यूटर शाखा के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 25.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 107 - 109

पुलिस मुख्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 850.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 110 - 111**

संचालक मेडिकोलीगल के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता आदि मदों में स्वीकृत बजट से रुपये 9.80 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 112 - 113**

एफ.एस.एल. सागर के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 62.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 62,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 114 - 119**

पुलिस मुख्यालय में आरक्षक, उप निरीक्षक की भर्ती एवं पदोन्नति पर 200.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

**मद क्रमांक 120 - 122**

होमगार्ड के सिपाहियों को भोजन भत्ता, नाई, घोबी भत्ता एवं मानदेय मद में रुपये 701.75 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,01,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 123 - 129**

प्रधान सेनानी कार्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 190.15 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,90,15,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 130 - 131**

अग्निशमन केन्द्र पीथमपुर के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 20.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 132 - 134**

अग्नि शमन केन्द्र इंदौर के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 92.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 92,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 135 - 137**

अग्नि शमन दल मंत्रालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 42.80 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 42,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 138 - 140**

अग्नि शमन दल मालनपुर के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 19.85 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

**मद क्रमांक 141**

पुलिस कर्मियों के आवास की मरम्मत हेतु रुपये 3.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 04

मुख्य शीर्ष 2070

**मद क्रमांक 1 - 2**

नागरिक सुरक्षा के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 3.06 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 5**

नागरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिविल डिफेन्स के सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट आपग्रेडेशन के लिये मंगेली जिला जबलपुर में ट्रेनिंग हेतु उपकरण सामग्री का क्रय किया जाना है। इस हेतु रुपये 55.41 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55.41,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6 - 8**

अधीक्षक स्टेट गैरेज के अंतर्गत स्वीकृत बजट के विरुद्ध वेतन, महंगाई भत्ता तथा मजदूरी मद में रुपये 27.80 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

**मद क्रमांक 9**

संपदा संचालनालय के अंतर्गत स्वीकृत बजट के विरुद्ध महंगाई भत्ता आदि मदों में रुपये 4.50 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 10**

राज्य सैनिक बोर्ड के अंतर्गत महंगाई भत्ते में स्वीकृत बजट से रुपये 5.05 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

पुत्र/पुत्रियों को प्रतिरक्षा में भरती कराने वाले माता-पिता के लिये सम्मान निधि/पुरस्कार में वृद्धि होने के कारण स्वीकृत बजट से रुपये 60.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12 - 13

जिला सैनिक बोर्ड के अंतर्गत वेतन एवं महंगाई भत्ते में स्वीकृत बजट से रुपये 42.65 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 42,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4055

### मद क्रमांक 14

नागरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा सिविल डिफेन्स सुदृढीकरण योजना अन्तर्गत ट्रेनिंग इन्स्टीट्यूट अपग्रेडेशन के लिये मंगेरी जिला जबलपुर में ट्रेनिंग बिल्डिंग के निर्माण का कार्य किया जाना है। इस कार्य पर रुपये 60.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 05  
मुख्य शीर्ष 2056

### मद क्रमांक 1 - 4

जेल मुख्यालय में निर्देशन एवं प्रशासन योजना अंतर्गत वर्ष के दौरान वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेड पे आदि मदों पर रुपये 54,52,000 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 54,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5 - 7

जेल मुख्यालय के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वेतन, महंगाई भत्ता आदि मदों में रुपये 876.59 लाख अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,76,59,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8 - 9

जेलों की आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत वर्ष के दौरान वेतन, महंगाई भत्ता आदि मदों में रुपये 1.41. लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,41,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10 - 11

जेलों का आधुनिकीकरण योजना अंतर्गत वाहनों का क्रय तथा मशीन और संयंत्र मद में रुपये 5,00,00,100 का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 एवं रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12 - 13

जेल उत्पादन योजना अंतर्गत वर्ष के दौरान वेतन, महंगाई भत्ता मद में रुपये 6.28 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 06  
मुख्य शीर्ष 2052

### मद क्रमांक 1 - 2

संचालनालय वित्तीय प्रबंध सूचना प्रणाली के अंतर्गत पेट्रोल तेल, परिवहन व्यवस्था हेतु राशि रुपये 1.60 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3 - 7

संस्थागत वित्त संचालनालय के अंतर्गत संचालित पी.पी.पी. प्रकोष्ठ के सुदृढीकरण एवं संचालन के लिये रुपये 0.90 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता



है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2071

### मद क्रमांक 8-10

प्रदेश के शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर देय पेंशन तथा अनुषांगिक लाभ हेतु रुपये 500.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 07

मुख्य शीर्ष 2020

### मद क्रमांक 1 - 3

आयुक्त, वाणिज्यिक कर स्थापना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 35.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2030

### मद क्रमांक 4 - 9

महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक म.प्र. में स्टाम्प एवं पंजीकरण कार्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 87.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 87,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2039

### मद क्रमांक 10-13

राज्य उत्पाद शुल्क अंतर्गत वेतन भत्तों तथा अभिभाषकों की फीस हेतु रुपये 103.55 लाख की अतिरिक्त राशि संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,03,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14 - 16

राज्य उत्पाद शुल्क अंतर्गत जिला कार्यालयिक स्थापना में वेतन एवं भत्ते में रुपये 684.24 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,84,24,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 17 - 19

रसायन शाला की स्थापना हेतु वेतन भत्ते मद में रुपये 3.56 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,56,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2040

### मद क्रमांक 20 - 37

वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड के अन्तर्गत दो नई बेंच के गठन हेतु रुपये 75.60 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 38 - 40

आयुक्त वाणिज्यिक कर जिला स्थापना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 14.00

करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 14,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 08  
मुख्य शीर्ष 2029

### मद क्रमांक 1 - 3

आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त कार्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 194.70 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,94,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4 - 7

भू-प्रबंधन के अंतर्गत के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 865.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,65,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

पटेली मेहनताना अन्तर्गत पुराने एरियर्स के भुगतान हेतु रुपये 1.96 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,96,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9 - 11

नजूल स्थापना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के भुगतान हेतु रुपये 462.73 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,62,73,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12 - 15

परिमाण, व्यवस्थापन एवं लेख्य संग्रह संबंधी कार्य के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 655.48 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,55,48,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 16 - 20

जिला खर्च अंतर्गत वर्ष 2010-2011 में राशि रुपये 53.51 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 53.51 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 21 - 23

भू-राजस्व के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 1.92 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 24 - 25

पदाधिकारियों को सर्वेक्षण तथा भू-अभि. में परीक्षा/प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 3.65 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 26

कृषको के अधिकार अभिलेख तथा ऋण पुस्तिकाओं का निःशुल्क प्रदाय हेतु राशि रुपये 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 लाख के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 27

मध्य प्रदेश लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम अंतर्गत राशि रुपये 31.50 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 28

भू-अभिलेख का अद्यतीकरण योजना अंतर्गत राज्यांश एवं केन्द्रांश की कुल राशि रुपये 844.98 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,44,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 29 - 31

केन्द्र क्षेत्रीय योजना के कृषि संगणना में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 2.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 32 - 33

फसलो के सांख्यिकी सुधार योजना अंतर्गत वेतन मद में रुपये 10.00 लाख का अतिरिक्त प्रावधान संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 34 - 36

मुख्य फसलों के क्षेत्रफल तथा उत्पादन संबंधी अनुमानों को समय पर भेजने की योजना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 13.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 37

भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण योजना के अंतर्गत राशि रुपये 312.00 लाख जो केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना की राशि है, अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 38 - 40

सिंचाई सांख्यिकी के युक्तियुक्तकरण योजना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 11.30 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2053

**मद क्रमांक 41 - 54**

जिला स्थापना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान एवं मंडला समागम 2011 में भू-अर्जन तथा जिला शाजापुर हेतु एक नवीन वाहन क्रय हेतु कुल रुपये 2859.22 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,59,22,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 55 - 59**

उप संभागीय स्थापना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 2027.76 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,27,76,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 60 - 68**

संभागीय आयुक्त कार्यालयों के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 374.84 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,74,84,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

**मद क्रमांक 69-70**

उप वृहद् निर्माण कार्य हेतु रुपये 923.90 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,23,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 09

मुख्य शीर्ष 2058

**मद क्रमांक 1 - 3**

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री का कार्यलय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 16.40 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,40,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4 - 8**

शासकीय केन्द्रीय एवं क्षेत्रीय मुद्रणालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान एवं सामग्री एवं पूर्तिया हेतु रुपये 526.51 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,26,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 10

मुख्य शीर्ष 2055

**मद क्रमांक 1 - 4**

वन की अभिरक्षा के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 366.50 लाख की अतिरिक्त

आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,66,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2406

### मद क्रमांक 5 - 13

मुख्यालय के अंतर्गत रुपये 497.19 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,97,19,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14 - 17

वन प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन के अंतर्गत रुपये 204.28 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,04,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 18 - 26

कार्यकारी योजना संगठन एवं कार्यकारी वृत्तों की स्थापना के अन्तर्गत रुपये 124.02 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,24,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 27 - 33

कार्यकारी योजनायें तथा अतिक्रमण व्यवस्थापन के अंतर्गत रुपये 60.41 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,41,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 34 - 35

क्षेत्रीय वृत्त कार्यालयों में रुपये 167.20 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,67,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 36 - 42

उत्पादन वन मंडल राजकीय व्यापार राष्ट्रीयकृत इमारती लकड़ी, खैर एवं बास के अंतर्गत रुपये 894.92 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,94,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 43 - 47

क्षेत्रीय वन मंडल में वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय हेतु रुपये 4702.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 47,02,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 48

लघु वन उपज संघ को अनुदान के लिये रुपये 8.28 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,28,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 49 - 51

सामाजिक वानिकी के अंतर्गत रुपये 206.77 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,06,77,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 52

संयुक्त वन प्रबंधन समितियों को लाभांश प्रदाय करने के लिये रुपये 700.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 53

वनो में आधुनिक अग्नि सुरक्षा नवीन योजना होने के कारण प्रतीक प्रावधान किया जाना आवश्यक है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त नवीन योजना के लिये रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 54

अन्य निर्माण कार्य के अंतर्गत डिक्रीधन का भुगतान ( भारित ) हेतु रुपये 15.75 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,75,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 55 - 63

राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत रुपये 631.41 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,31,41,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 64 - 74

अभ्यारण क्षेत्रों में रुपये 214.57 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,14,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 75 - 78

वन्य प्राणी कक्ष की स्थापना के अंतर्गत रुपये 78.51 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 78,51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 79 - 85

संरक्षित क्षेत्र के बाहर वन्यप्राणी प्रबंधन नवीन योजना होने के कारण प्रतीक प्रावधान किया जाना है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त नवीन योजना हेतु रुपये 1,000 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 86 - 115

सतना जिले के मुकुंदपुर में चिड़ियाघर एवं वन्यप्राणी उपचार केन्द्र की स्थापना नवीन योजना होने के कारण वित्तीय वर्ष में प्रतीक प्रावधान किया जाना आवश्यक है। व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 116 - 118

राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्यो का विकास ( प्रोजेक्ट टाइगर ) योजना के अंतर्गत रुपये 597.20 लाख केन्द्रांश तथा रुपये 313.37 लाख रा%यांश कुल रुपये 9,10,97,000/- का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,10,97,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3054

### मद क्रमांक 119

सड़कों का निर्माण तथा सड़क व पुलों की दुरूस्ती मद में मजदूरी के अंतर्गत रुपये 4.50 करोड़ का आकस्मिकता निधि से अग्रिम लिया गया था।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 4,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 11  
मुख्य शीर्ष 2230

### मद क्रमांक 1 - 3

रोजगार तथा प्रशिक्षण संचालनालय के वेतन भत्ते हेतु रुपये 38.85 लाख के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4 - 6

वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के रोजगार कार्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 144.30 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,44,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2851

### मद क्रमांक 7-10

वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के जिला उद्योग केन्द्रों के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान तथा व्यवसायिक सेवाओं की अदायगी हेतु रुपये 2.44 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,44,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

वाणिज्य उद्योग एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत भारत सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के अखिल भारतीय चतुर्थ संगणना कार्य विभाग में व्यवसायिक सेवाओं की आदायगी हेतु राशि रुपये 34.00 लाख की राशि शामिल के अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 34,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2852

### मद क्रमांक 12

वाणिज्य उद्योग और रोजगार विभाग के अन्तर्गत इन्डस्ट्रियल फेसिलिटेशन कॉउन्सिल के गठन हेतु अन्य आकस्मिक व्यय नवीन मद सृजित कर राशि रुपये 100 का प्रतीक प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 13

दिल्ली, मुम्बई इन्डस्ट्रियल कॉरिडोर परियोजना अंतर्गत रतलाम, नागदा इन्वेस्टमेन्ट रिजन डेव्हलपमेन्ट प्लान बनाने में कुल रुपये 12.04 करोड़ का व्यय होगा, जिसमें से राशि रुपये 5.00 करोड़ उद्योग विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई है। शेष राशि रुपये 7.04 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,04,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6860

### मद क्रमांक 14

डी.एम.आई.सी परियोजना ट्राईफेक को भू-अर्जन मुआवजा ऋण हेतु रुपये 1.00 करोड़ के व्यय की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 12  
मुख्य शीर्ष 2045

**मद क्रमांक 1 - 4**

विद्युत अधिनियम, 2003 के अंतर्गत विशेष अदालतों का गठन हुआ है। जिसके वेतन भत्तों आदि के लिये रुपये 75,54,700 की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,54,700 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

**मद क्रमांक 5**

मंडला जिले में आयोजित होने वाले महाकुंभ समागम-2011 में विद्युत व्यवस्था हेतु रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

**मद क्रमांक 6**

2 गुना 660 मेगावाट श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना जिला खण्डवा (द्वितीय चरण) के प्रारंभिक व्यय हेतु रुपये 20.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

परियोजना म.प्र. पावर जनरेटिंग कंपनी एवं मेसर्स बी.एच.ई.एल. की संयुक्त उपक्रम कंपनी दादा धूनीवाले खण्डवा पावर लि. द्वारा प्रस्तावित है। इसके वित्त पोषण हेतु रुपये 2250.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

कृषि उपयोग के लिये स्वतंत्र फीडर की व्यवस्था हेतु विद्युत वितरण कंपनी को धनवेष्टन मद में रुपये 3994.00 लाख की राशि प्रदान की जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 39,94,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु उप पारेषण एवं सुदृढीकरण कार्य के लिये रुपये 391.00 लाख की राशि वितरण कंपनी को अंशपूजी के रूप में प्रदान की जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,91,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

**मद क्रमांक 10**

माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन हेतु उप पारेषण एवं सुदृढीकरण कार्य के लिये रुपये 913.00 लाख की राशि वितरण कंपनियों को ऋण के रूप में उपलब्ध कराया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

विद्युत क्षेत्र में धन की कमी को दूर करने के लिये विद्युत वितरण कंपनियों को रुपये 600.00 करोड़ की राशि कार्यशील पूंजी हेतु अल्पावधि ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जानी है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 13

मुख्य शीर्ष 2401



**मद क्रमांक 1 - 4**

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 753.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,53,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास अन्तर्गत बीज एवं फार्म विकास निगम की अंशपूजी में धनवेष्टन नामक नवीन योजना स्थापित की जाना है जिसके लिये रुपये 3.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास के अन्तर्गत बीज ग्राम योजना में रुपये 1325.58 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है। यह योजना भारत सरकार से शत-प्रतिशत सहायित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,25,58,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7 - 8**

खाद्य गुण नियंत्रण प्रयोगशाला के अंतर्गत वेतन भत्ते मद में रुपये 28.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास के अन्तर्गत खाद एवं उर्वरक की व्यवस्था हेतु पूंजी पर ब्याज, रैंक हैंडलिंग उर्वरक परिवहन एवं सहकारी प्रतिभूति पर लगने वाले शुल्क की प्रतिपूर्ति नामक नवीन योजना स्थापित की जाना है। इसके लिये राशि रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 10 - 15**

पौध संरक्षण प्रयोगशाला, कृषि विस्तार प्रशिक्षण केन्द्र एवं प्रदर्शनी मेला एवं प्रचार के अन्तर्गत वेतन भत्ते मद में रुपये 115.85 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,15,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16 - 17**

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 64.25 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 64,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 18 - 19**

संचालनालय कृषि अभियांत्रिकी के अन्तर्गत मशीन, ट्रेक्टर स्टेशन योजना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 64.38 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 64,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 20 - 21**

संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 64.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 64,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 14

मुख्य शीर्ष 2403

**मद क्रमांक 1-23,28-31,34-37,39,48-51**

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाये के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वेतन भत्तों के लिये स्वीकृत बजट से रुपये 4159.63 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 41,59,63,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 24 - 27,40-43**

संचालक पशु चिकित्सा सेवायें के अन्तर्गत गहन पशु विकास परियोजना तथा महत्वपूर्ण पशु रोगों की विधिवत रोकथाम के वेतन भत्ते में स्वीकृत बजट से रुपये 2,07.57 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,07,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 32**

संचालक पशु चिकित्सा सेवाओं के अन्तर्गत बकरी पालन प्रक्षेत्र का सुदृढीकरण नामक नवीन योजना स्थापित की जानी है। इसके लिये भारत सरकार द्वारा स्वीकृत की गई राशि रुपये 51.11 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 51,11,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 33**

पशु चिकित्सा सेवाएँ के अंतर्गत चारा तथा चारागाह विकास चारा बीज का वितरण योजना के लिये स्वीकृत बजट से राशि रुपये 225.15 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,25,15,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 38**

संचालक पशु चिकित्सा सेवायें के अन्तर्गत डेयरी संचालन विकास और विस्तार नामक नवीन योजना स्थापित की जानी है। जिसके लिये रुपये 33.75 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 44 - 46**

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएँ के अन्तर्गत दूध, अण्डा, ऊन एवं मांस उपलब्धता के अनुमान मद में स्वीकृत बजट से रुपये 22.70 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 47**

संचालक पशु चिकित्सा सेवायें के अंतर्गत डेयरी संचालन विकास और विस्तार योजना नामक नवीन योजना स्थापित की जाना है जिसके लिये रुपये 300.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 15  
मुख्य शीर्ष 2215

**मद क्रमांक 1**

समग्र स्वच्छता अभियान योजनान्तर्गत स्कूल व आंगनबाड़ी शौचालय की ईकाई लागत में क्रमशः रुपये 15000/ तथा रुपये 3000/ की वृद्धि की गई है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 323.74 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,23,74,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 16  
मुख्य शीर्ष 2405

**मद क्रमांक 1 - 2**

निर्देशन एवं प्रशासन के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 125.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

संचालक मत्स्योद्योग के अन्तर्गत मत्स्यालय योजना में स्वीकृत बजट से 2.50 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

संचालक मत्स्योद्योग के अन्तर्गत मत्स्यालय योजना के लघु निर्माण कार्य में स्वीकृत बजट से 80.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

संचालनालय मत्स्योद्योग के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिये स्वीकृत बजट से रुपये 1068.38 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,68,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

संचालनालय मत्स्योद्योग के अन्तर्गत सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक मत्स्यकीय ऋण पर ब्याज योजना में रुपये 100.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 17  
मुख्य शीर्ष 2425

**मद क्रमांक 1 - 21**

आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थायें के अंतर्गत विभिन्न योजनाओं के वेतन भत्तों एवं परीक्षा, प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत बजट से रुपये 1690.30 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,90,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 18  
मुख्य शीर्ष 2230

**मद क्रमांक 1 - 4**

श्रमायुक्त कार्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 1.06 लाख की अतिरिक्त

आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 5 - 8**

श्रमायुक्त कार्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 32.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 9**

लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर के भुगतान हेतु रुपये 22.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 10 - 13**

मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 38.45 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 14 - 17**

श्रमायुक्त कार्यालय के अन्तर्गत श्रम कानूनो का क्रियान्वयन हेतु रुपये 139.96 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,39,96,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 18 - 24**

मध्यप्रदेश औद्योगिक न्यायालय इंदौर के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 76.12 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 76,12,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 25 - 26**

श्रमायुक्त कार्यालय खरगौन के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 2.70 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 27 - 30**

श्रमायुक्त कार्यालय के अन्तर्गत औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा में रुपये 71.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 71,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### **मद क्रमांक 31 - 33**

श्रमायुक्त कार्यालय के अन्तर्गत श्रम कल्याण अन्वेषण में रुपये 2.10 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,10,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 34**

श्रमायुक्त कार्यालय के अन्तर्गत खेतीहर मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी संबंधी कानून को लागू करने हेतु रुपये 2.80 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,80,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 19  
मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 1-47,52-68,70-73**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों एवं मजदूरी के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 23864.42 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,38,64,42,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 48-51**

नवगठित जिला अलीराजपुर एवं सिंगरोली में मुख्य चिकित्सालय एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय की स्थापना के लिये 4 माह हेतु रुपये 47.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 47,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 69**

केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत जिला मलेरिया अधिकारियों को मोबिलिटी हेतु राशि उपलब्ध कराने हेतु पी.ओ.एल. हेतु राशि रुपये 20.00 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2211

**मद क्रमांक 74-110**

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान एवं कार्यालय व्यय आदि हेतु रुपये 4234.32 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 42,34,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 20  
मुख्य शीर्ष 2215

**मद क्रमांक 1-3**

प्रदेश की जल प्रदाय योजना की स्थापना हेतु वेतन, मंहगाई भत्ता, ग्रेड पे में वृद्धि होने के कारण इस मद में रुपये 211.69 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,11,69,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

ड्रिलिंग रिंग्स का आपरेशन, निर्देशन और प्रशासन के अंतर्गत कर्मचारियों के वेतन, मंहगाई भत्ता एवं ग्रेड पे हेतु राशि रुपये 37.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

मंहगाई भत्ता में वृद्धि के कारण इस मद में राशि रुपये 106.32 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,06,32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 6**

न्यायालयीन प्रकरण के निर्णयानुसार डिफेंडन के भुगतान हेतु रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 7**

जल पूर्ति के अंतर्गत निर्देशन एवं प्रशासन मद में वेतन एवं महंगाई भत्ते के भुगतान हेतु राशि रुपये 900.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 8**

लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर का भुगतान किये जाने हेतु राशि रुपये 15.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 9-10**

शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा कर्मचारियों के वेतन भत्ते के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 3603.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 36,03,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 11-13**

ग्रामीण जलपूर्ति कार्यक्रम, नलकूपों का अनुरक्षण अंतर्गत कर्मचारियों का वेतन महंगाई भत्ते एवं मजदूरी हेतु राशि रुपये 2266.24 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,66,24,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 14**

मण्डला जिले में नर्मदा नदी पर महाकुंभ आयोजन हेतु जल प्रदाय एवं गंदे पानी के निकासी हेतु रुपये 500.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम दिया गया था। इस राशि की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 500.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 15**

जल प्रदाय गृह की स्थापना एवं संधारण हेतु कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ते हेतु राशि रुपये 80.70 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 16-17**

प्रदेश की मलजल निकासी योजनाओं हेतु स्थापना एवं संधारण मद के अन्तर्गत कर्मचारियों के वेतन एवं महंगाई भत्ता हेतु रुपये 261.80 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,61,80,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### **मद क्रमांक 18**

कार्यभारित एवं आकस्मिकता सेवा में कर्मचारियों के वेतन भुगतान हेतु क्रमशः रुपये 119.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,19,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19**

ग्रामों में पेयजल प्रदाय योजना अन्तर्गत वेतन, भत्ते मद में रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 20**

पाइपों द्वारा ग्रामीण जल प्रदाय की केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत राज्यांश के रुपये 3000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 21**

समस्यामूलक ग्रामों में पेयजल प्रदाय की केन्द्र प्रवर्तित योजना अन्तर्गत राज्यांश की राशि रुपये 982.00 लाख का प्रावधान प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,82,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 22**

प्रदेश की ग्रामीण शालाओं में जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना हेतु आकस्मिकता निधि से प्राप्त अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 465.35 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,65,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 21

मुख्य शीर्ष 2059

**मद क्रमांक 1**

तरण पुष्कर में मजदूरी हेतु रुपये 3.90 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

तीन निर्माण उप संभागों के लिये रुपये 12.00 लाख के व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 7**

मण्डल स्थापना अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 177.45 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,77,45,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8 - 10**

विद्युत एवं यांत्रिक संभाग एवं उप संभाग कार्यालय के वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 8.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11 - 13**

विभागाध्यक्ष भवनों रख-रखाव हेतु रुपये 8.67 लाख के व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,67,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2217

**मद क्रमांक 14 - 20**

वन मण्डल कार्यालय की स्थापना व्यय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 54.98 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 54,98,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 21 - 39**

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत वेतन भत्ते एवं कार्यालय व्यय हेतु राशि रुपये 301.20 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,01,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 40**

आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत इन्वायरमेन्टल रिसर्च एवं ट्रेनिंग सेन्टर एवं अर्बन सिटी प्लानिंग एक्टिविटी एवं सिंगरौली क्षेत्र में पर्यावरण प्रबंधन योजना के सूदृढी मॉनिटरिंग हेतु स्वीकृत बजट से राशि रुपये 35.00 लाख अधिक व्यय होना की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	22
मुख्य शीर्ष	2217

**मद क्रमांक 1**

20 सूत्रीय विभाग को विलोपित करते हुये उसके स्थान पर लोक सेवा प्रबंध विभाग का गठन किया गया है। इस हेतु प्रतिकर राशि के भुगतान हेतु रुपये 16.50 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 16,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अन्तर्गत मास रेपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के सर्वे हेतु अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण रुपये 45,15,000 आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किया गया जिसकी प्रतिपूर्ति एवं रुपये 55.15 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

सिंहस्थ मेले के आयोजन हेतु रुपये 1.00 करोड़ के व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

नगरीय प्रशासन विकास विभाग के अन्तर्गत नगर विकास योजना हेतु राशि रुपये 17.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	23
मुख्य शीर्ष	2700

**मद क्रमांक 1 - 3**

जल संसाधन विभाग के कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों को वेतन, महंगाई भत्ते हेतु राशि रुपये 69.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 69,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2701
-------------	------



**मद क्रमांक 4 - 28**

जल संसाधन विभाग की मध्यम सिंचाई योजना की स्थापनाओं के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 5154.20 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 51,54,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

**मद क्रमांक 29-37,39,40,42-46,48,49,51-57**

जल संसाधन विभाग की मुख्य सिंचाई की स्थापनाओं के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 1171.25 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,71,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 38**

बाण सागर परियोजना यूनिट-दो के निर्माण कार्य हेतु रुपये 8000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 41**

राजघाट परियोजना के निर्माण कार्य हेतु रुपये 100.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 47**

सिंध परियोजना द्वितीय चरण के निर्माण कार्य हेतु रुपये 7000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 70,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 50**

पेंच प्रत्यावर्तन परियोजना के निर्माण कार्य हेतु रुपये 6000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

**मद क्रमांक 58-68**

जल संसाधन विभाग की विभिन्न मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण कार्य हेतु रुपये 13100.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,31,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4711

**मद क्रमांक 69-71**

जल संसाधन विभाग की विभिन्न बाढ़ नियंत्रण योजनाओं हेतु राशि रुपये 617.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,17,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 24

मुख्य शीर्ष 3054

**मद क्रमांक 1**

राष्ट्रीय राज मार्ग योजना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 100.00 लाख की

अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2

जिला तथा अन्य सड़क योजना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 2000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 3

जिला तथा अन्य सड़कों के अनुरक्षण हेतु रुपये 90.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 90,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 4

जिला तथा अन्य सड़कों के सुदृढीकरण हेतु रुपये 15.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 5

जिला तथा अन्य सड़कों के नवीनीकरण उन्नतीकरण हेतु रुपये 20.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 6

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मंडल स्थापना में वेतन हेतु रुपये 200.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 7

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत निष्पादन मद में वेतन हेतु रुपये 200.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 8

लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत मुख्यालय स्थापना में वेतन हेतु रुपये 400.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 9

मुख्यालय स्थापना के कार्यभारित कर्मचारियों को छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 10 - 11

वास्तुकला स्थापना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 6.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

वृहद पुलों का निर्माण योजना के अन्तर्गत रुपये 20,00,00,300 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

जिसमें निम्नानुसार 3 पुलों के निर्माण नवीन मद के रूप में सम्मिलित किये गये हैं :-

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत	प्रतीक प्रावधान
1	उमरिया	अखरार से खमतरा मार्ग में छोटी महानदी पर पुल का निर्माण	320.00	100
2	शिवपुरी	ग्राम तिघरा कूनो नदी पर पुल निर्माण	480.00	100
3	सिंगरौली	हिरवाह में पुल निर्माण	408.00	100
योग			1208.00	300

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 एवं रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

विभाग के अन्तर्गत रेल्वे ओव्हर ब्रिज के निर्माण हेतु रुपये 13,12,73,200 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

जिनमें दो पुलों का निर्माण नवीन मद के रूप में सम्मिलित किया गया है जो निम्नांकित हैं :-

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लागत	प्रतीक प्रावधान
1.	उज्जैन	जोरो पाइंट मक्सी रोड से हीरा मिल की चाल तक ओव्हर ब्रिज का निर्माण	3105.00	100
2.	ग्वालियर	साडा क्षेत्र में आवागमन सुचारु करने हेतु पुरानी छावनी से खेरिया रोड छोटी रेल लाईन या फ्लाई ओवर ब्रिज का निर्माण	800.00	100
योग			3905.00	200

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,12,73,000 के एवं रुपये 200 प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

नाबार्ड वित्त पोषित योजना अन्तर्गत पुलों के निर्माण हेतु रुपये 3203.74 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,03,74,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

एशियन डेव्हलपमेन्ट बैंक से प्राप्त होने वाले तृतीय ऋण की राशि में से रुपये 13187.00 लाख से राज्य मार्गों के उन्नतीकरण कार्य कराये जाने हैं।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,31,87,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

केन्द्रीय सड़क निधि अंतर्गत सड़क निर्माण कार्यों के लिये रुपये 8000.00 लाख की अतिरिक्त राशि प्राप्त होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 17**

वित्तीय वर्ष 2010-11 में निम्नानुसार नवीन सड़कों के निर्माण कार्यों में रुपये 3.00 लाख का व्यय अनुमानित है। जिसकी व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	लागत	प्रतीक प्रावधान
1.	रीवा	रा.रा. 7 पर कि.मी. 229/4 से 239/4 तक फोर लेन का निर्माण	10.00	198.00	100
2.	भोपाल	केरवाडेम से भदभदा सिंहोर मार्ग	5.30	357.13	100
3.	भोपाल	केरवाडेम से कलिया सोत मार्ग तक निर्माण	3.20	407.09	100

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 300 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 18

वित्तीय वर्ष 2010-11 में जिला तथा अन्य सड़कों के कार्यक्रम अन्तर्गत निम्नानुसार 110 नवीन सड़क निर्माण कार्य कराये जाने प्रस्तावित है। इन कार्यों को अपरीक्षित मद के रूप में सम्मिलित किया गया है। कार्यों में व्यय की व्यवस्था विभाग स्वीकृत बजट से करेगा।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	अनुमानित लागत	प्रतीक प्रावधान
1	इन्दौर	कम्पेल मार्ग से हरिजन बस्ती पिवाड़ा तक तथा पिवाड़ा ग्राम में सीमेंट कांक्रिट मार्ग	3.00	150.00	100
2	इन्दौर	मिसिंग लिंक देपालपुर से बरगोदा मार्ग	6.00	180.00	100
3	इन्दौर	ग्राम श्री रामतलावली से नरलाय होते राउ पीथमपुर मार्ग	7.00	245.00	100
4	बुरहानपुर	हतनुर से भतखेड़ा मार्ग	3.00	150.00	100
5	बुरहानपुर	सिंधी बस्ती से मोहम्मदपुरा रेणुका मंदिर फोर लेन	4.70	164.50	100
6	बुरहानपुर	गुरुद्वारा से ताप्ती अस्पताल तक मार्ग का निर्माण	2.50	548.00	100
7	बुरहानपुर	गणपति नाका से सिंधी बस्ती फोर लेन मार्ग	4.00	200.00	100
8	बैतूल	तिरमहू से खरपखेड़ी बड़चौक मार्ग	5.00	175.00	100
9	कटनी	बाबा माधवगढ़ मार्ग	3.00	200.00	100
10	मंदसौर	मगौर से बरखेड़ा	4.00	140.00	100
11	मंदसौर	कचारिया से रायखेड़ा मार्ग	5.00	175.00	100
12	मंदसौर	ग्राम कांटिया से रूघनाथपुरा में मार्ग	8.00	280.00	100
13	मुरैना	सिहोनिया-देतरा-अजनोद- बिचौली मार्ग	8.00	240.00	100
14	मुरैना	सवलग-देवगढ़-देलथा- मोरौनली-मायथा मार्ग	10.10	303.00	100
15	मुरैना	विन्तका पुरा से व्हाया मलेकापुरा से कतलू का पुरा मार्ग	17.50	525.00	100
16	मुरैना	अटेर रोड से रतनकापुरा होकर कारीमाटी का पुरा से कीचौल रोड तक मार्ग का निर्माण	10.00	350.00	100
17	भिण्ड	ऊमरी फूप से सराय का पुरा मार्ग	6.00	210.00	100
18	शिवपुरी	पोहरी रोड़ से ग्राम ठर्री तक मार्ग निर्माण	4.00	140.00	100
19	सिवनी	घंसौर से सालहेपानी वि.ख. घंसौरी मार्ग	8.00	280.00	100
20	विदिशा	ठर्र भितरी भदौरा तिलक मूठरा अहमदपुर	13.00	582.00	100
21	हरदा	नयापुरा से राताकर मार्ग	7.00	245.00	100
22	होशंगाबाद	ग्राम मोफाड़ा-खेडीअहीर-बमनगांव मार्ग	5.80	174.00	100
23	होशंगाबाद	गूजरवाड़ा-कीरपुरा-रजौन पहुंच मार्ग	6.50	195.00	100
24	होशंगाबाद	शोभापुर से पिपरिया इटारसी से खेडापुल पहुंच मार्ग	7.60	266.00	100
25	भोपाल	बरखेडा पठानी से लहारपुर फोरलेन सड़क का निर्माण	5.00	980.00	100
26	भोपाल	ग्राम घाटखेडी से सूखी सेवनिया मार्ग का निर्माण।	4.00	140.00	100
27	भोपाल	विशनखेडी बील खेड़ा मार्ग	3.50	180.00	100

28	भोपाल	दामखेड़ा-भटखेड़ी सड़क को डामरीकरण मार्ग तक जोड़ने संबंधी	6.00	210.00	100
29	भोपाल	ग्राम सेमरा सैयद से खामखेड़ा मार्ग का निर्माण	8.00	280.00	100
30	पन्ना	कल्ला से श्यामगिरि मार्ग	8.00	280.00	100
31	पन्ना	मंडवाह से पगवार मार्ग	13.00	455.00	100
32	रीवा	देवास क्योटी मार्ग	6.00	210.00	100
33	रीवा	मंडवा से जामुनिया टोला किटहा लाल पुर मार्ग	6.00	210.00	100
34	रायसेन	केवट पिपलिया से उमरझिर साईंखेड़ा सिलवानी	8.00	240.00	100
35	रायसेन	बीलाखेड़ी से पारखेड़ी से गेंहूखेड़ा से महर्षिविद्या मंदिर से एन. एच. 12 तक मार्ग का निर्माण	7.00	275.00	100
36	राजगढ़	तारागंज से बाबडलीय मार्ग	7.00	245.00	100
37	राजगढ़	ए.बी.रोड पथरिया जोड से बुलनपुर मार्ग	16.00	560.00	100
38	राजगढ़	कोटरी से हिनातिया तक मार्ग	8.00	280.00	100
39	शाजापुर	नदनी से पिपल्या नगर मार्ग	7.00	245.00	100
40	शाजापुर	अकोदिया से सुन्दरसी मार्ग	26.50	2215.00	100
41	शाजापुर	नलखेडा से छापीखेड़ा तक मार्ग निर्माण	12.00	420.00	100
42	शाजापुर	पंचेती से मढकी आगर विधान सभा क्षेत्र तक मार्ग का निर्माण	11.00	385.00	100
43	इन्दौर	महू भगोरा कालेकुंड	14.00	650.00	100
44	टीकमगढ़	जतारा बायपास का निर्माण	8.84	1227.39	100
45	सीधी	दुखखड से दुआरी तक मार्ग निर्माण	3.50	122.50	100
46	सीहोर	कुलाशकला से बारवाखेड़ी	3.00	120.06	100
47	सीहोर	खारफा से हेदरगंज	3.00	120.06	100
48	सीहोर	बरखेड़ा हसन से देहरी तक सड़क निर्माण	3.00	120.06	100
49	सीहोर	बरखेड़ा हसन से नाईहेडीतक सड़क निर्माण	3.00	120.06	100
50	सीहोर	ग्राम बरखेड़ाहसन से सुआखेड़ी तक तक सड़क निर्माण	3.00	120.06	100
51	सीहोर	बनेटा से शाहगंज मार्ग	4.00	140.00	100
52	सीहोर	बाई से बोडी से वेरखेड़ी	3.50	140.07	100
53	सीहोर	तूमडा मार्ग से तज वाया अमरोद	3.50	140.07	100
54	सीहोर	दुदलाई रूपाहेह से रूपादी	3.60	144.07	100
55	सीहोर	रूपादेड से गादिया	3.60	144.07	100
56	सीहोर	सीहोर जिले की सीहोर तहसील अंतर्गत ग्राम जहांगीरपुरा से देवस्थान दरगाह तक सड़क निर्माण	4.00	160.08	100
57	सीहोर	सौनखेड़ी से सीलकंठ	4.00	160.08	100
58	सीहोर	सेमरी से खनपुरा रतनपुर मार्ग	4.70	164.50	100
59	सीहोर	सिलगना से नान्दनेर मार्ग	5.00	175.00	100
60	सीहोर	जोनतला से बकतरा मार्ग	5.00	175.00	100
61	सीहोर	हथलेवा से चाचमड से नयापुरा से शाहगंज मार्ग	5.00	175.00	100
62	सीहोर	उदयपुरा पटारिया वाया पटारिया सिंधा	4.90	196.10	100
63	सीहोर	रा.रा.मार्ग से अतरालिया खेजड़ाखेड़ा तक मार्ग का निर्माण	5.00	200.10	100
64	सीहोर	बीबदा से सततुमड़ी जहाजपुरा मार्ग	6.00	210.00	100
65	सीहोर	जोनतला से सिलेगना मार्ग	6.00	210.00	100
66	सीहोर	छापरी खुर्द वाया छापरी कलां	5.30	212.11	100
67	सीहोर	मोगराराम से गुडवेला	6.00	240.12	100
68	सतना	सतना सिमरिया नैना सगमनिया तक मार्ग	4.55	159.25	100

69	सतना	धौरहरा से रौंढ-बड़ा खमरिया तक मार्ग निर्माण	5.50	192.50	100
70	सतना	कटया बैरिहा सौनौरा बेटहटा मार्ग	7.00	245.00	100
71	सतना	बठीय से करसरा-बरही तक मार्ग निर्माण	7.00	245.00	100
72	सतना	पंनेरी महदेवा मार्ग व्हाया जवाहर नगर	7.40	459.00	100
73	सतना	परसमनिया-महाराजपुर घाट तक 15 कि0 मी0 मार्ग निर्माण	15.00	438.07	100
74	सतना	कोटर से मेहुती-झरी-मझगवां-बिरसिंगपुर-जैतवारा तक मार्ग	16.20	267.00	100
75	सतना	मां शारदा देवी परिक्रमा पथ	3.00	210.00	100
76	उज्जैन	रूदाहेड़ा से गुनई माग	5.50	192.50	100
77	उज्जैन	छीतरखेड़ी से बिछड़ोद मार्ग	7.80	273.00	100
78	दमोह	मिहगुवा से कौआखेह मार्ग	4.00	140.00	100
79	मुरैना	नूरबाद से मालनपुर वाया रिठौरा	15.00	525.00	100
80	दमोह	बटियागढ़ से केबाना मार्ग	21.00	735.00	100
81	दतिया	बडोना कला पहुँच मार्ग	4.00	140.00	100
82	छतरपुर	ग्राम पठापुर से ग्राम हतना तक मार्ग	3.70	129.50	100
83	छतरपुर	चांदला बछोन मार्ग	13.00	455.00	100
84	जबलपुर	इमलई से मोहरी नरगावां मार्ग	4.00	140.00	100
85	जबलपुर	गौरैया घाट से जतरा नर्मदा घाट तक सड़क निर्माण	2.50	150.00	100
86	जबलपुर	सहजपुर गड़र पिपरिया मार्ग	4.40	154.00	100
87	जबलपुर	रिहंरी ( एल.पी.आर) तिलगावां मार्ग	5.00	175.00	100
88	जबलपुर	सिंगलदीप से निरंदपुर मार्ग ( मुड़िया बम्हनी होते हुये)	7.80	273.00	100
89	जबलपुर	कुंडम से बिलकुकरी होते हुए सातमझिर झिरया चौराहा तक	13.00	245.00	100
90	ग्वालियर	हरिखेड़ा से जागा ( मुरार) मार्ग	4.00	140.00	100
91	गुना	सिरसी से सांडखेड़ा मार्ग	6.00	210.00	100
92	गुना	सडखेड़ा से मजोला व्हाया दस्तोलीबेर मार्ग	8.50	197.00	100
93	खण्डवा	पुनासा मूंदी से श्री सिंगाजी थर्मल पावर तक एवं सिंगाजी पुल की पहुँच माग का निर्माण ( मांधाला विधानसभा क्षेत्र)	35.00	3500.00	100
94	खण्डवा	गौल अट्टखास खुटलाकला देवला मूदी मार्ग	31.00	1085.00	100
95	विदिशा	गुरोद पीपलधार मार्ग का उन्नयन	21.80	1264.00	100
96	रायसेन	बेगम गंज -सुल्तान गंज मार्ग से धोधरी कुन्दा सुनेटी राजाधार पडरिया पापडा मवई सोडपुर मार्ग	22.33	997.00	100
97	सागर	टुण्डरी से छुलतारा	8.50	297.50	100
98	सागर	टीलाखेड़ी से चावडा तक मार्ग निर्माण	3.50	233.35	100
99	सागर	लिधौरा खुर्द से पिपरिया करकट व्हाया बटालियन मार्ग	4.50	300.04	100
100	सागर	रहली गढ़कोटा गौरझामर मार्ग	6.00	350.00	100
101	सागर	देवरी से केसली मार्ग	4.00	140.00	100
102	जबलपुर	हरगढ़ इन्डस्ट्रियल क्षेत्र मे सरगढ़ मढ़ई मार्ग	9.10	675.00	100
103	जबलपुर	कुण्डम से ग्राम मडई कखराल मार्ग	9.10	318.00	100
104	जबलपुर	कटंगा तिराहे से ग्वारीघाट मार्ग	40.00	2000.00	100
105	रतलाम	किशनगढ़ से पंत पिलोदा	5.00	225.00	100
106	विदिशा	बोरिया काछीखेड़ा मढ़िया बामनखेड़ा को करैया हाट तक डामरकृत सड़क से जोड़ना	10.00	358.00	100
107	विदिशा	मरही धुराडा पटवारीखेड़ी मार्ग का निर्माण	6.60	231.00	100
108	विदिशा	मणिपुर से नौलश	10.00	350.00	100
109	उज्जैन	बड़नगर खचरौद मार्ग का उन्नयन	24.00	3796.00	100
110	ग्वालियर	ग्वालियर मेले के दौरान ट्रेफिक दबाव को दूर करने के	2.00	448.00	100

## लिए रेसकोर्स रोड का चौड़ीकरण

योग 888.42 42571.77 11000

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19**

वित्तीय वर्ष 2010-11 में नाबार्ड वित्त पोषण से निम्नानुसार 20 नवीन सड़क निर्माण कार्य कराये जाने प्रस्तावित है। इन कार्यों को अपरीक्षित मद के रूप में सम्मिलित किया गया है। कार्यों में व्यय की व्यवस्था विभाग स्वीकृत बजट से करेगा।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई	अनु. लागत	प्रतीक प्रावधान
1	बुखानपुर	शाहपुर से धामनगांव मार्ग	10.00	350.00	100
2	मंदसौर	नारायण गढ़ से बरूजनपा मार्ग	4.00	140.00	100
3	मंदसौर	मून्दड़ी से नारायण गढ़ मार्ग	4.10	143.50	100
4	मंदसौर	छायन से माकड़ी चामुण्डा	4.50	157.50	100
5	मंदसौर	झार्डा से अरली मार्ग	6.30	220.50	100
6	होशंगाबाद	पालनपुर से बड़ोदिया मार्ग	3.20	112.00	100
7	राजगढ़	बाढ़गांव रामगढ़ लखोनी	11.60	406.00	100
8	राजगढ़	ए.बी. रोड़ उदनखेड़ी से धामंदा तक मार्ग निर्माण	8.00	280.00	100
9	सीहोर	दुपाडिया से चाचखेड़ी मार्ग	3.40	136.07	100
10	सीहोर	टीकामोड़ से मागरोल	3.50	140.07	100
11	सीहोर	गिलहरी से वासुदेव	4.00	160.08	100
12	सीहोर	कुरी से नयापुरा	8.00	320.16	100
13	नरसिंहगढ़	दरई से पथरौड़ा मार्ग	4.50	180.09	100
14	सीहोर	मछवाई जोड़से जैत होकर नारायणपुर नादनेर से भउञ्छ मार्ग	13.00	520.26	100
15	छतरपुर	राजनगर रोड़ से सरानी व्हाया राधेपढ़र तक मार्ग	4.00	140.00	100
16	जबलपुर	तलाड़ से पड़वार तक मार्ग का निर्माण	8.07	282.45	100
17	जबलपुर	सरदा-मढ़ई मार्ग	9.10	318.50	100
18	नीमच	सिंगोली तिलस्मा मार्ग	9.60	624.00	100
19	गुना	सिरसी से मुसरेड़ी राजस्थान बार्डर व्हाया सालोद मार्ग	13.50	472.50	100
20	गुना	प्राणपुर -नाकपुर -हीरावल राजघाट मार्ग	16.00	560.00	100
योग			148.37	5663.68	2000

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2000 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 20**

बी.ओ.टी. परियोजनाओं में यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्य हेतु रुपये 5283.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 52,83,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 21**

बी.ओ.टी. परियोजनाओं में भू-अर्जन कार्य के लिये रुपये 1588.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,88,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या	25
मुख्य शीर्ष	2853

**मद क्रमांक 1 - 2**

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 42.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 42,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 4**

संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म अन्य खनिजों का सर्वेक्षण के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 15.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म योजना अन्तर्गत नवीन वाहन क्रय हेतु रुपये 2.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु नवीन मद अन्तर्गत रुपये 2,00.00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	26
मुख्य शीर्ष	2202

**मद क्रमांक 1 - 6**

ललित कला संस्थाओं के वेतन भत्तों हेतु रुपये 37.38 लाख के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7 - 13**

संगीत महाविद्यालयों के वेतन भत्तों आदि हेतु रुपये 93.64 लाख के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 93,64,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	2205
-------------	------

**मद क्रमांक 14**

मध्यप्रदेश स्थापना समारोह, खजुराहो निवेश समिट एवं पुष्पगिरी तीर्थ महोत्सव हेतु रुपये 8.68 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,68,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15 - 17**

रवीन्द्र भवन के वेतन भत्तों तथा सुरक्षा व्यय हेतु रुपये 13.00 लाख के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 18 - 20**

संस्कृति संचालनालय के वेतन भत्तों एवं सुरक्षा व्यवस्था हेतु रुपये 8.30 लाख के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।



अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 21 - 22**

कंजर्वेशन एवं संवर्धन के अंतर्गत वेतन भत्तों हेतु रुपये 3.30 लाख के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,30,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 23 - 27**

पुरातत्व विज्ञान, निर्देशन एवं प्रशासन के अन्तर्गत वेतन भत्तों हेतु रुपये 83.29 लाख के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 83,29,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 28 - 30**

प्रकाशन खण्ड के अन्तर्गत वेतन भत्तों हेतु रुपये 1.34 लाख के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,34,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 31 - 32**

फोटोग्राफी सेल के अंतर्गत वेतन भत्तों हेतु रुपये 1.20 लाख के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 33 - 34**

संचालनालय पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय माडलिंग सेल के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 1.60 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 35 - 37**

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत पुरावशेष अधीनियम शाखा में वेतन भत्तों के भुगतान हेतु रुपये 5.83 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 38 - 40**

राज्य पुरालेख संचालनालय के वेतन भत्तों हेतु रुपये 29.82 लाख के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 29,82,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 41 - 42**

संग्राहलयों के वेतन भत्तों हेतु रुपये 80.35 लाख के अतिरिक्त व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 43**

भारत भवन प्रशासनिक व्यवस्था के अन्तर्गत वेतन भत्तों के भुगतान हेतु रुपये 43.90 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 43,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 44**

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत व्याख्यान संस्कृति समारोह, संगोष्ठी राजाभोज राज्यारोहण उत्सव आदि हेतु रुपये 1.00 करोड़ के व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 45 - 46**

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत स्वराज भवन हेतु वेतन भत्ते मद में रुपये 6.00 लाख के व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3454

**मद क्रमांक 47 - 48**

संस्कृति विभाग जिला विवरिणिका मे वेतन भत्ते हेतु रुपये 1.75 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

**मद क्रमांक 49**

संस्कृति विभाग के अन्तर्गत राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर में भवन निर्माण हेतु रुपये 1.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 27

मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1 - 4**

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के अन्तर्गत वेतन भत्तों एवं अभिभाषकों की फीस हेतु राशि रुपये 633.60 लाख शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,33,60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5 - 8,18-32,36,37**

राज्य शिक्षा केन्द्र के अंतर्गत आयोजनेत्तर मद मांग संख्या 27-2202 में विभिन्न योजनाओं में वेतन भत्तों हेतु अतिरिक्त राशि रुपये 4,06,94,36,000 शामिल की जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,06,94,36,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9 - 13**

राज्य शिक्षा केन्द्र के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त राशि के परिणाम स्वरूप वेतन हेतु राशि रुपये 985.89 लाख शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,85,89,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस राशि को निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के क्रियान्वयन हेतु राशि रुपये 143.17 लाख को अतिरिक्त रूप से शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,43,17,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

भारत शासन से मदरसा बोर्ड कार्यालय के विकास हेतु राशि रुपये 5.00 लाख प्राप्त हुई है। जिसकी प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 16

13वें वित्त आयोग की अनुशंसानुसार राशि रुपये 320.00 करोड़ अतिरिक्त रुप से शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 17

भारत शासन से पूर्व अनुदानित 749 मदरसे तथा 16 नवीन मदरसों हेतु कुल राशि रुपये 1,38,24,000 प्राप्त हुई है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,38,24,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 33

केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा 6 सी. टी. ई. एवं 2 आई. ए. एस. ई. कुल 8 संस्थानों हेतु रुपये 96.00 लाख स्वीकृत किये गये हैं।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 96,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 34 - 35

सरकारी शिक्षा महाविद्यालयों के अंतर्गत परीक्षा प्रशिक्षण एवं सामग्री पूर्तियां मद में भारत सरकार से प्राप्त रुपये 94,85,000 शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 94,85,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 38

कस्तूरबा गांधी ग्राम बालिका विद्यालय के अप्रारंभ एवं अपूर्ण निर्माण कार्य को पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त राशि के रुप में रुपये 3681.00 लाख का प्रावधान शामिल किया जा रहा है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 36,81,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 28

मुख्य शीर्ष 2011

### मद क्रमांक 1

भारतीय संसदीय सेवा की गतिविधियों हेतु रुपये 136.25 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,36,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 29

मुख्य शीर्ष 2014

### मद क्रमांक 1 - 8

माननीय न्यायाधिपतिगणों को एवं मुख्यपीठ जबलपुर एवं खण्डपीठ इंदौर, ग्वालियर के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारियों को नवीन 13 वाहनों के क्रय हेतु एवं परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों को यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्तों के भुगतान हेतु रुपये 2,40,00,000 के अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,40,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9 - 13

निर्वाह एवं तामिल स्थापना के अन्तर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, मकान किराया, अन्य भत्ते एवं ग्रेड पे में वर्ष के दौरान राशि रुपये 6,50,00,000 के अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14 - 24**

समस्त न्यायिक अधिकारियों के उपयोगार्थ ए.आई.आर. साफ्टवेटर इन्फोटेक क्रय किये जाने एवं न्यायिक अधिकारियों को उनके निवास पर वर्किंग लाइब्रेरी हेतु एवं शेड्डी पे कमीशन के तहत भत्ते के एरियर राशि के भुगतान हेतु रुपये 84,68,00,000 के अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 84,68,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 25 - 29**

ग्राम न्यायालयों में आगामी माहों में व्यय हेतु एवं विभिन्न मदों में व्यय हेतु राशि रुपये 3,50,00,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 30 - 32**

परिवार न्यायालय के अंतर्गत वेतन, महंगाई भत्ता, ग्रेड पे, कार्यालय व्यय, अनुरक्षण कार्य एवं मशीन मद में वर्ष के दौरान रुपये 164.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,64,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2052

**मद क्रमांक 33**

न्यायिक सेवा के अधिकारियों के चिकित्सा व्यय में वर्ष के दौरान रुपये 2.00 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 30

मुख्य शीर्ष 2501

**मद क्रमांक 1**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत राज्य स्तर का अमला में स्वीकृत बजट से रुपये 2.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

**मद क्रमांक 2-15,17-20,27-32**

विकास आयुक्त कार्यालय के अंतर्गत विकास खण्ड कार्यालय, विकास आयुक्त कार्यालय संभाग एवं जिला स्तर का अमला तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा योजनाओं के कर्मचारियों के वेतन भत्ते हेतु स्वीकृत बजट से रुपये 1196.35 लाख अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,96,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकास आयुक्त कार्यालय हेतु एक नवीन वाहन क्रय हेतु रुपये 4.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 21 - 26,33,36**

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत विकास आयुक्त के लिये विकास खण्ड कार्यालय तथा ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के वेतन भत्तों में रुपये 2135.95 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,35,95,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 37**

विकास आयुक्त के अन्तर्गत ग्रामीण यांत्रिकी सेवा योजना के लिये मजदूरी मद में स्वीकृत बजट से रुपये 75.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 75,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

### मद क्रमांक 38

विकास आयुक्त के अंतर्गत म.प्र. ग्रामीण सड़क प्राधिकरण को अनुदान योजना में स्वीकृत बजट से रुपये 15738.00 लाख अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,57,38,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 31

मुख्य शीर्ष 3451

### मद क्रमांक 1

13वें वित्त आयोग की अनुशंसाओं अनुसार जिला नवाचार कोष की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार से रुपये 10.00 करोड़ की राशि प्राप्त होगी। यह राशि आयोगनेतर मद में प्रावधानित राशि को समर्पित कर की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3454

### मद क्रमांक 2

13वें वित्त आयोग की अनुशंसा अनुसार राज्य की सांख्यिकी अधोसंरचना को मजबूत करने हेतु केन्द्र सरकार से रुपये 10.00 करोड़ की राशि प्राप्त होगी। यह राशि आयोगनेतर मद में प्रावधानित राशि को समर्पित कर की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3 - 5

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 405.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,05,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6 - 8

जन्म मृत्यु आंकड़ों का संकलन के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 50.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9 - 11

एकॉनामिक एसोसियेशन के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 18.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 32

मुख्य शीर्ष 2051

### मद क्रमांक 1

लोक सेवा आयोग बिक्री और प्रचार व्यय के अंतर्गत रुपये 6,00,000/- का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2070

## मद क्रमांक 2

अन्य प्रशासनिक सेवाएं के अंतर्गत प्रचार-प्रसार मद में रुपये 1,00,000/- का व्यय आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

## मद क्रमांक 3

तकनीकी शिक्षा के अंतर्गत प्रचार-प्रसार मद में रुपये 10,00,000/- आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

## मद क्रमांक 4

जलपूर्ति तथा सफाई के अंतर्गत प्रचार-प्रसार मद में रुपये 10,00,000/- आवश्यक है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2220

## मद क्रमांक 5 - 13

सूचना तथा प्रचार अंतर्गत निर्देशन प्रशासन मद में राशि रुपये 472.18 लाख अतिरिक्त व्यय होना संभावित है। जिसमें से राशि रुपये 1.00 करोड़ आकस्मिकता निधि ली गई है।

अतः आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 4,72,18,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 6

मुख्य शीर्ष 2235

## मद क्रमांक 14

सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु रुपये 5,00,000/- की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

## मद क्रमांक 15

फसल कृषि फार्म, अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु रुपये 5,00,000/- की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

## मद क्रमांक 16

अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम अंतर्गत विज्ञापन एवं प्रचार हेतु रुपये 15,00,000/- की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 33

मुख्य शीर्ष 2202

## मद क्रमांक 1 - 20

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु

रुपये 9025.79 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 90,25,79,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 21

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत आयुर्वेद प्रशासन के लिये मजदूरी हेतु रुपये 1.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 22-73

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 2692.91 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,92,91,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

### मद क्रमांक 74-78

आदिम जाति कल्याण विभाग के अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 188.03 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,88,03,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 34

मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 1 - 2

संचालनालय सामाजिक न्याय के अन्तर्गत निदेशन और प्रशासन योजना के वेतन भत्ते में स्वीकृत बजट से रुपये 4.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3 - 7

संचालनालय सामाजिक न्याय के अन्तर्गत कलापथक का ग्रामीण पुस्तकालय वाचनालय योजना हेतु वेतन भत्ते में स्वीकृत बजट से रुपये 21.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

मन्त्रि परिषद निर्णय अनुसार 20 सूचीय विभाग को विलोपित कर उनके स्थान पर लोक सेवा प्रबंध विभाग का गठन किया गया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर राशि का भुगतान करने हेतु रुपये 82.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 82,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 9 - 11

संचालनालय सामाजिक न्याय के अंतर्गत अंधे, बहरे तथा गूंगों के लिये शालायें तथा संस्थायें योजना में वेतन भत्ते एवं मजदूरी के लिये स्वीकृत बजट से रुपये 5.70 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12 - 16

संचालनालय सामाजिक न्याय के अन्तर्गत परिवीक्षा इकाई योजना के वेतन भत्ते में स्वीकृत बजट से रुपये 27.11 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,11,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 17

संचालनालय सामाजिक न्याय के अन्तर्गत कलापथक योजना में वेतन भत्ते हेतु स्वीकृत बजट से रुपये 1.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 18 - 19

संचालनालय सामाजिक न्याय के अन्तर्गत दूरदर्शन कार्यक्रम योजना के वेतन भत्ते में स्वीकृत बजट से रुपये 1.50 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 20

संचालनालय सामाजिक न्याय के अन्तर्गत मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना में स्वीकृत बजट से रुपये 800.00 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 21

संचालनालय सामाजिक न्याय के अंतर्गत दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता योजना में स्वीकृत बजट से रुपये 400.00 लाख के अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 36  
मुख्य शीर्ष 2041

### मद क्रमांक 1 - 6

आयुक्त परिवहन मुख्यालय स्थापना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान एवं व्यावसायिक सेवाओं हेतु रुपये 62.73 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस राशि में से रुपये 18.00 लाख आकस्मिकता निधि से अग्रिम ली गई है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रत्यूपूर्ति सहित रुपये 62,73,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7-13

राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण कार्यालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 27,21,300 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,21,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14 - 17

आयुक्त परिवहन कार्यालय संग्रह प्रभार के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 215.92 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।



अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,15,92,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 1,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 18 - 21

आयुक्त परिवहन कार्यालय उड़नदस्ता एवं चैक पोस्ट की स्थापना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 185.33 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,85,33,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	38
मुख्य शीर्ष	2210

### मद क्रमांक 1 - 11,32-53

आयुष विभाग के अंतर्गत वेतन भत्ते, महंगाई भत्ता सामग्री पूर्ति, राशन का मूल्य आदि के लिये रुपये 3306.90 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 33,06,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12-31,54-57

भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 377.25 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,77,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष	4210
-------------	------

### मद क्रमांक 58-59

आयुर्वेदिक महाविद्यालय के निर्माण कार्य हेतु रुपये 422.50 लाख का व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,22,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	39
मुख्य शीर्ष	2408

### मद क्रमांक 1 - 10

म.प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग के अन्तर्गत उपभोक्ता संरक्षण प्रकोष्ठ में वेतन भत्ते मद में स्वीकृत बजट से रुपये 669.03 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,69,03,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत मुख्य कार्यालय हेतु अनुसूचित जाति / जनजाति एवं निःशक्त उम्मीदवारों को परीक्षा शुल्क एवं प्रशिक्षण के लिये रुपये 50.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 12

मंत्रि-परिषद् निर्णय अनुसार 20 सूत्रीय विभाग को विलोपित कर उसके स्थान पर लोक सेवा प्रबंध विभाग का गठन किया गया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्रतिकर राशि का भुगतान करने हेतु रुपये 60.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

म.प्र. राज्य उपभोक्ता कल्याण निधि नियम अन्तर्गत उपभोक्ता कल्याण निधि का गठन किया गया है। इसके लिये कारपस फण्ड स्थापित करने हेतु भारत सरकार द्वारा रुपये 10.00 करोड़ की सहमति दी गई है। इस राशि में 75 प्रतिशत केन्द्रांश रुपये 7.50 करोड़ तथा 25 प्रतिशत राज्यांश की राशि रुपये 2.50 करोड़ होगी। राज्यांश की राशि रुपये 2.50 करोड़ राज्य की आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराई गई है। जिसकी प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 2.50 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14**

आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अन्तर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्यान्न उपार्जन हेतु प्रोत्साहन योजना में स्वीकृत बजट से रुपये 18,75,50,300 अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,75,50,300 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 15**

आयुक्त खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के अंतर्गत उपभोक्ता हेल्पलाईन सेन्टर की स्थापना योजना में स्वीकृत बजट से राशि रुपये 27.25 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 27,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 16**

आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण के अंतर्गत उपभोक्ता जागरूकता कल्याण योजना में रुपये 12.00 लाख की आवश्यकता है। इसमें राज्यांश एवं केन्द्रांश की राशि सम्मिलित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 3475

**मद क्रमांक 17 - 22**

नियंत्रक नापतौल के अन्तर्गत मुख्यालय एवं संभागीय कार्यालय हेतु वेतन भत्ते, मजदूरी एवं किराया महसूल और स्थानीय कर में स्वीकृत बजट से रुपये 2,35,75,500 के अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,35,75,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 40

मुख्य शीर्ष 2705

**मद क्रमांक 1 - 11**

जल संसाधन विभाग की कमान क्षेत्र विकास आयकट कार्यक्रम अन्तर्गत वेतन भत्तों के एरियर्स आदि भुगतान हेतु राशि रुपये 37.52 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,52,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 41

मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1 - 2**

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित प्राथमिक शालाओं में पदस्थ अमले के वेतन एवं महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 738.40 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,38,40,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3 - 4

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित माध्यमिक शालाओं में पदस्थ अमले के वेतन एवं महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 531.68 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,31,68,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5 - 6

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थ अमले के वेतन एवं महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 38.48 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,48,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक शालाओं में पदस्थ अमले के महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 109.04 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,09,04,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 8

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित हाईस्कूलों में पदस्थ अमले के महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 47.98 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 47,98,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

### मद क्रमांक 9

आदिवासी क्षेत्रों के जिला मुख्यालय पर एक शासकीय विद्यालय जहा हांकी मैदान उपलब्ध हो चयन कर पूरे वर्ष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाना है। इस हेतु एक संविदा हांकी प्रशिक्षक, एक संविदा ग्राउण्डमेन, टूर्नामेंट एक्सपोजर, खेल सामग्री, खेल वृत्ति आदि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 28.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 10 - 13

खेल अकादमियों की स्थापना योजना अंतर्गत प्रतिभा चयन, खिलाड़ियों के आवास, भोजन, आवश्यक खेल सामग्री व स्पोर्ट्स किट तथा खिलाड़ियों को खेल वृत्ति आदि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 39.76 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 39,76,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14

खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कार, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को खेल वृत्ति / सम्मान आदि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 45.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 45,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

### मद क्रमांक 15 - 16

आदिवासी क्षेत्रों में मलेरिया नियंत्रण कार्य के लिये कीटनाशक डी.डी.टी., सिंथेटिक पायरेथ्राइड एवं मेलाथियान का छिड़काव किया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 380.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,80,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 17

आदिवासी वित्त विकास निगम के स्थापना अनुदान के अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 37.00 लाख अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 37,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 18 - 19

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम शालाओं में पदस्थ अमले के वेतन एवं महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 86.24 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 86,24,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 20

एच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान योजना अंतर्गत अशासकीय संस्थाओं में पदस्थ कर्मचारियों के लम्बित वेतन भत्ते के भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 195.00 लाख अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,95,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 21

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित कन्या शिक्षा परिसरों में पदस्थ अमले के महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 0.51 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 51,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 22

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित क्रीडा परिसरों में पदस्थ अमले के महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 0.96 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 96,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 23 -25

अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त कराने के लिये आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रीमैट्रिक छात्रावास संचालित है। 50 सीट से कम छात्रावासों को 50 सीट करने की दृष्टि से 1000 अतिरिक्त सीट वृद्धि की जाना है। जिस पर आवर्ती व अनावर्ती व्यय के रूप में रुपये 134.96 लाख का व्यय संभावित है, तथा पदस्थ अमले के महंगाई भत्ता हेतु रुपये 4.08 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त कुल रुपये 139.04 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,39,04,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 26

आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में पदस्थ अमले के महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 1.21 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,21,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 27

व्यवसायिक शिक्षा योजना अंतर्गत पदस्थ अमले के महंगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 11.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 28-29

ग्रामों में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को भूख से मुक्ति दिलाने एवं भोजन की सम्मानजनक स्थाई व्यवस्था हेतु भारत सरकार द्वारा स्वीकृत ग्रामीण ग्रेन बैंक की परिवहन व्यवस्था हेतु 50 प्रतिशत राशि राज्यांश के रूप में रुपये 1800/- प्रति ग्रेन बैंक के मान से कुल रुपये 31.86 लाख की आवश्यकता है, तथा योजना अंतर्गत पदस्थ अमले के महंगाई भत्ता हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 1.06 लाख का व्यय संभावित है। इस प्रकार आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त कुल रुपये 32.92 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,92,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 30

भारत सरकार द्वारा केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजातियों के विकास के लिए राशि निर्गमित की है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, कृषि, सिंचाई, आवास, आजीविका, प्रचार प्रसार, जागरूकता शिविरो का आयोजन, संस्कृति का संरक्षण, जनश्री योजना, खेल क्रीड़ा प्रतियोगिता आदि पर व्यय किया जावेगा। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 531.90 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,31,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 31

भारत सरकार द्वारा केन्द्र क्षेत्रीय योजना अंतर्गत आदिवासी उपयोगना क्षेत्रों की विशेष पिछड़ी जनजाति सहरिय, बैगा तथा भारिया का चिन्हांकित क्षेत्रों से बाहर निवासरत परिवारों का सर्वेक्षण कराया जाना है। योजना अंतर्गत सहरिया जनजाति के 5000 से अधिक जनसंख्या वाले जिले विदिशा, रायसेन, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, श्योपुर, मुरैना, भिण्ड, ग्वालियर, दतिया। बैगा जनजाति के 5000 से अधिक जनसंख्या वाले जिले डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट, उमरिया, सीधी, जबलपुर एवं अनुपपुर। भारिया जनजाति के 3000 से अधिक जनसंख्या वाले जिले पन्ना, शहडोल, कटनी, छिन्दवाड़ा, नरसिंहपुर, जबलपुर तथा सतना के सर्वेक्षण हेतु रुपये 84.25 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 84,25,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

### मद क्रमांक 32 - 35

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित एकलव्य औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में पदस्थ अमले के वेतन, महंगाई भत्ते, मकान किराय भत्ता एवं ग्रेड पे हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 20.80 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,80,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 36 - 41

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में स्थापित मिनी आई. टी. आई. में पदस्थ अमले के वेतन, महंगाई भत्ते, आदिवासी क्षेत्र भत्ता, मकान किराय भत्ता, ग्रेड पे एवं मजदूरी हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 103.21 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,03,21,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 42

दीनदयाल अंत्योदय मिशन योजना अंतर्गत मुख्य मंत्री कन्यादान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष के आगामी माहों में सामूहिक विवाह संपन्न करवाये जाने हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 300.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 43

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 199.70 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,99,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 44

आदिवासी नगर निगम क्षेत्रों की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना की पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 85.98 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 85,98,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 45

आदिवासी नगर निगम क्षेत्रों की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 49.78 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 49,78,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 46

आदिवासी नगर पालिका क्षेत्रों की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना की पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 128.98 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,28,98,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 47

आदिवासी नगर पालिका क्षेत्रों की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 74.68 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 74,68,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 48

आदिवासी नगर पंचायत क्षेत्रों की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन योजना की पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 214.98 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,14,98,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 49

आदिवासी नगर पंचायत क्षेत्रों की इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना की पेंशन भुगतान हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 124.47 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,24,47,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 50

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत श्रमिक वर्ग कल्याण से संबंधित संचालित सभी योजनाओं में एकरूपता लाने पर भूमिहीन खेतीहर मजदूर के परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपये 1.00 लाख की सहायता दी जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत रुपये 350.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

#### मद क्रमांक 51

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 334.52 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,34,52,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2402

### मद क्रमांक 52 - 53

शुष्क कृषि क्षेत्र में जलग्रहण का विकास योजना अंतर्गत पदस्थ अमले के वेतन एवं मंहगाई भत्ते हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 24.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

### मद क्रमांक 54

मछली पालन विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 95.18 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 95,18,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

### मद क्रमांक 55

मुख्य कार्यपालन अधिकारियों का वेतन योजना अंतर्गत पदस्थ अमले के मंहगाई भत्ता हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 8.77 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,77,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 56 - 58

विकास खण्ड कार्यालय योजना अंतर्गत पदस्थ अमले के वेतन, मंहगाई भत्ता एवं ग्रेड पे आदि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 48.85 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 48,85,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 59 - 61

ग्रामीण यांत्रिकी सेवा योजना अंतर्गत पदस्थ अमले के वेतन, मंहगाई भत्ता एवं ग्रेड पे आदि हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 63.77 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 63,77,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 62

आदिवासी क्षेत्रों में खेल के विकास हेतु बैतूल में लागत रुपये 365.00 लाख से एस्ट्रोर्टफ का निर्माण, जिला सीहोर के रेहटी, बुधनी एवं नसरुल्लागंज में रुपये 140.00 लाख प्रति स्टेडियम की लागत से स्टेडियम का निर्माण कराया जाना है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 100.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

### मद क्रमांक 63

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों हेतु भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) अंतर्गत विविध विकास कार्य हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गमित की गई राशि के प्रावधान हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 1753.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,53,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 64**

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों में विविध विकास कार्य हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

**मद क्रमांक 65**

आदिवासी क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 11.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है, राशि बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड योजना अंतर्गत प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4515

**मद क्रमांक 66**

छिन्दवाड़ा जिले के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र पाताल कोट को कनेक्टीविटी प्रदाय करने के लिये 15.3 किलोमीटर सड़क निर्माण हेतु रुपये 1100.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

**मद क्रमांक 67**

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में धनवेष्टन हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1740.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,40,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 68**

सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार इकाई हेतु धनवेष्टन योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में वित्तीय वर्ष में रुपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 69**

मालवा ताप विद्युत परियोजना हेतु धनवेष्टन योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोजना में वित्तीय वर्ष में रुपये 700.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

**मद क्रमांक 70**

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में ऋण तथा अग्रिम हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 4060.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 40,60,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 42

मुख्य शीर्ष 5054

**मद क्रमांक 1**

प्रदेश के आदिवासी क्षेत्रों हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गमित की गई राशि के प्रावधान हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 2400.00 लाख की अतिरिक्त



आवश्यकता है, तथा योजना अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों के निर्माण कराये जाने हेतु प्रतीक प्रावधान के रूप में शामिल है।

( रु. लाख में )

क्र.	जिला	कार्य का नाम	मार्ग की लंबाई ( कि.मी. )	लागत ( राशि )
1	छिन्दवाड़ा	अनखावाड़ी से चाखला तक मार्ग	13.52	1009.35
2.	छिन्दवाड़ा	माहुलझिर से फतेहपुर जिला सीमा तक मार्ग	7.10	726.55
3.	छिन्दवाड़ा	देलाखारी-बेलखेड़ी मार्ग	7.00	556.55
4.	छिन्दवाड़ा	भाजीपानी जोबनडेरा मार्ग	6.00	341.56
5.	छिन्दवाड़ा	रझारीपिपला-कोठर-बेलगांव-भुयारी-भूली मार्ग	10.40	709.67
6.	छिन्दवाड़ा	दीघावानी-नवेगांव सिरगोरीखुर्द मायावाड़ी से न्यूटन मार्ग	7.54	523.38
7.	छिन्दवाड़ा	राज्य मार्ग क्र. 26 से कबाडिया कुसमेली खापा टोला मार्ग	6.60	473.24
8.	छिन्दवाड़ा	बिछुआबगू देवी घड़ेला भीमालगोंदी खदवेली मार्ग	13.24	229.94
9.	छिन्दवाड़ा	रिछेड़ा से खमरा उड़कू मार्ग	3.24	229.94
10.	छिन्दवाड़ा	मानेगांव पिपरिया गुमानी अकलमा खुर्सीपार से खिरेटी मार्ग	10.80	851.58
11.	छिन्दवाड़ा	कुण्डा हरनभाटा बीझावाड़ा बिलंदा से सुखारी मार्ग	11.08	746.26
12.	छिन्दवाड़ा	दमुआ-सारणी से सेमकुही ब्रजपुरा हरियागढ़ मेहदांवीर छिन्दीकामथ हनोतिया मार्ग	18.02	1270.65
13.	छिन्दवाड़ा	उमरहर-परसगांव-निशानजानोजी मार्ग	6.00	581.53
14.	छिन्दवाड़ा	सामरबोह जमुनिया नवेगांव मार्ग	9.00	487.41
15.	छिन्दवाड़ा	पौनारी शिकारपुर कुकड़ाचिमन मालहनवाड़ा मार्ग	10.00	559.62
16.	छिन्दवाड़ा	बांसखेड़ा (पेंच पुल) से कुंभपानी मार्ग	6.00	389.73
17.	छिन्दवाड़ा	नोनिया करबल से सब्जी मण्डी गुरैया मार्ग	2.00	166.13
18.	छिन्दवाड़ा	परतला (ईसानगर) रानीकामथ-गुरैयाढाना-चंदनगांव मार्ग	6.80	485.78
19.	छिन्दवाड़ा	छिन्दवाड़ा गुरैया मार्ग	5.00	786.32
20.	छिन्दवाड़ा	कुंडा बिछुआ हथनी हथोड़ा कर्पुदा मार्ग	7.40	461.31
21.	छिन्दवाड़ा	पालाखेड रझाड़ा कामठी रोड से राज्यमार्ग क्र 26 तक मार्ग	8.00	450.31
22.	छिन्दवाड़ा	भंडारकुण्ड (रेल्वे स्टेशन) करेर सारंगबेहरी झारिपिंडरई उभेगांव मार्ग	11.65	617.63
23.	छिन्दवाड़ा	घाटामाली-जूनाढाना-दमुआ-धमनिया-मरकाढाना -खुलसान से बागबर्धिया मार्ग	18.50	1557.07
24.	छिन्दवाड़ा	मोहगांव किसन-दुर्गावाड़ा-जम्बाकराड़ी-खुमकाल मार्ग	5.50	465.13
25.	छिन्दवाड़ा	चिकटबरी-धाउ मार्ग	5.00	633.01
26.	छिन्दवाड़ा	मोंगरुली टेमनी मार्ग	3.30	258.84

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 24,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

## मद क्रमांक 2

जिला मण्डला में आयोजित होने वाले महाकुंभ के लिये आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (ग्रामीण सड़को सहित) योजना हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में उपलब्ध राशि के अतिरिक्त रुपये 3.00 करोड़ की आवश्यकता है, तथा योजना अन्तर्गत निम्नांकित कार्यों के निर्माण कराये जाने हेतु प्रतीक प्रावधान के रूप में शामिल है।

( रु. लाख में )

क्र.	जिला	कार्य का नाम	मार्ग की लंबाई ( कि.मी. )	लागत ( राशि )
------	------	--------------	------------------------------	------------------

1	बालाघाट	बिरली से मानेगाँव तक मार्ग निर्माण।	6.00	180.00
2	बालाघाट	विश्रामपुर से घेडगाटोला से नेवर गाँव	6.00	180.00
3	बालाघाट	ग्राम बोथली से ग्राम बहेला तक मार्ग निर्माण	6.00	180.00
4	बालाघाट	नाहरवानी से खेडासिवनी से सिगोड़ी मार्ग	7.00	210.00
5	बालाघाट	बटरभरा से खारा से छिन्दगाँव विकासखंड किरनापुर मार्ग	9.00	270.00
6	रीवा	रघुराजनगर से उमरिया व्हाया मनिकवार मार्ग	5.00	175.00
7	रीवा	मनिकवार से उमरिया मार्ग	6.00	210.00
8	सीधी	बहरी से हनुमना तक मार्ग निर्माण	7.00	210.00
9	सागर	बंदरी बंडा केरबाना मार्ग	20.00	835.93
10	रायसेन	अहमदपुर से आलमपुर तक मार्ग निर्माण	8.10	283.50
11	जबलपुर	कुबराहट से बाबिया रोड	4.02	140.70
12	जबलपुर	झिरिया से महेशपुरी देवहरा रोड	4.26	149.10
13	जबलपुर	मढीकला मखरार से जलधारा	6.92	242.20
14	जबलपुर	ग्राम मनखेड़ी से कुसली, नवीन चरगावाँ होते हुए ग्राम इमलिया मार्ग का निर्माण	7.50	240.19
15	बुरहानपुर	ग्राम धाधरला से नावरा मार्ग	5.00	175.00
16	सिंगरौली	तलाई से सिंगरौलिया मार्ग	4.00	140.00
17	इन्दौर	नाहर खेदरा से गोकुलिया कुंड मार्ग का निर्माण	5.50	450.00
18	अशोकनगर	ईसागढ़ कदवाया मार्ग से देवकानी मंदिर मार्ग	4.00	140.00
19	अशोकनगर	वाजीदपुर से पनवाडीहाट मार्ग	10.00	350.00
20	मण्डला	गोंझी-कोरेगाँव-पाटादाह मार्ग	6.60	231.00
21	उमरिया	ग्राम नयागाँव कंटगी धनकी गोपालपुर बिरूलिया मरदरी मार्ग	12.00	420.00
22	अनुपपूर	खोटी से बेलघाट मार्ग	5.00	175.00
23	अनुपपूर	बिलिया धाट से बिजुरी तक मार्ग का निर्माण	5.00	175.00
24	झाबुआ	धोधरी से गुणावद	3.50	157.50
25	अलीराजपुर	बखतगढ़ से मदवाल	15.00	675.00
26	खरगोन	ए.बी. रोड मगरखेड़ी से सोनखेड़ी तक मार्ग निर्माण	8.00	360.00
27	इन्दौर	कुम्टी कमथपुरा जलवाया मार्ग	7.00	280.00
28	धार	खंडकी फाटा से चिकली मार्ग	5.00	175.00
29	धार	मनावर बागल्या एहमदपुर मार्ग	11.00	385.00
30	धार	वदनावर जिला धार काम्पेल से कोद से भेसोला से सरदारपुर मार्ग	34.00	1190.00
31	शहडोल	गांपारू से चदेला तक मार्ग	4.00	140.00
32	बड़वानी	बोकराय खेतिया मार्ग का निर्माण	25.60	2100.00
33	बड़वानी	ग्राम बलवाड़ी से ग्राम देवली धवली मार्ग	15.00	525.00
34	बड़वानी	बड़वानी से बोरखेड़ी मार्ग	20.00	700.00
35	डिण्डौरी	रूसा से बफरीसोडा व्हाया बरनई मेढाखार मार्ग	25.00	1100.00
36	डिण्डौरी	पडरियाकला से डिण्डौरी अनुपनूर मार्ग	4.00	140.00
37	खण्डवा	जावर से सहवरोडा	5.80	289.00

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

भारत शासन से पी. टी. जी. एस. योजना अंतर्गत जिला अशोक नगर में खण्डवाया मेमन मार्ग निर्माण/उन्नयन कार्य हेतु रुपये 4.00 करोड़ की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 3.00 करोड़ का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4

आदिवासी क्षेत्रों में बेहतर आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से ग्रामीण सड़को का निर्माण (नाबाई) योजना अंतर्गत आदिवासी क्षेत्र उपयोगना में निम्नांकित कार्यों के निर्माण कराये जाने हेतु प्रतीक प्रावधान के रूप में शामिल है।

(रु. लाख में)

क्र.	जिला	कार्य का नाम	मार्ग की लंबाई (कि.मी.)	लागत (राशि)
1	खंडवा	बरूढ से बीला खेड़ा चिरवेल	6.00	210.00
2	सीहोर	आमाझिर से रसुलियाराम	6.00	268.26
3	सीहोर	गोदरा से बाबड़ी समनापुर मार्ग	6.00	240.12
4	सीहोर	नकटी तलाई से जहाजपुरा मार्ग	8.00	308.26
5	धार	निसरपुर से कोटेश्वर	5.00	225.00
6	अनुपपूर	अमरकंटक शहरी क्षेत्र के मार्ग के सी.सी. मार्ग	3.90	195.00
7	बड़वानी	बाबड़िया से लोहार मार्ग	4.00	140.00
8	खरगोन	ग्राम चितावद से अतरसुम्बा होते हुए हीरपुर मार्ग	6.00	210.00
9	शहडोल	मबेला से महरोई मुर्सी तक मार्ग	6.00	210.00

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में रुपये 27.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 43  
मुख्य शीर्ष 2204

#### मद क्रमांक 1 - 3

खिलाड़ियों के छात्रावास अन्तर्गत अमले के वेतन भत्तों हेतु राशि रुपये 1.70 लाख की राशि शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,70,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 4 - 8

खेल एवं युवक कल्याण विभाग के अन्तर्गत वेतन भत्तों के मद में राशि रुपये 18.35 लाख शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 18,35,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 9

कर्मचारी कल्याण संगठन के खेल मंडल का स्थानांतरण खेल एवं युवक कल्याण विभाग में किये जाने के फलस्वरूप मांग संख्या-01 शीर्ष 2251 से राशि समर्पित कर राशि रुपये 10.00 लाख मांग संख्या 43-2204 प्रावधान शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 10

खेल मंडल, खेल एवं युवक कल्याण विभाग द्वारा अखिल भारतीय सिविल सेवा प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राशि रुपये 17.00 लाख का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है तथा राशि रुपये 10.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु अग्रिम की प्रतिपूर्ति सहित रुपये 27,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 12

खेल एवं युवक कल्याण विभाग को अकादमी की स्थापना योजना अन्तर्गत घुड़सवारी एवं शूटिंग अकादमी के लिये वाहनों के क्रय हेतु रुपये

36,41,000 की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11,13-19

शीर्ष 2204 के अंतर्गत आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण निम्नानुसार राशि रुपये 235.55 लाख अतिरिक्त रूप से शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,35,55,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 20

खेल एवं युवक कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं में आयोजना सीमा में वृद्धि के कारण अधोसंरचना निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 200.00 लाख अतिरिक्त रूप से शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 44

मुख्य शीर्ष 2202

### मद क्रमांक 1 - 6,15-22

शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को यू.जी.सी. वेतनमान का लाभ एवं अशैक्षणिक कर्मचारियों को छठवे वेतनमान के एरियर्स की राशि के भुगतान करने हेतु निम्न योजना के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है:-

1.(3443) महाविद्यालयीन शिक्षा	267.65 लाख
2.(0798) कला वाणिज्य एवं विज्ञान	8575.00 लाख
3.(6066) संस्कृत महाविद्यालय	301.00 लाख

-----  
कुल 9143.65 लाख  
-----

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 91,43,65,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7 - 13

छठवें वेतनमान के एरियर्स के भुगतान एवं महंगाई भत्ते में वृद्धि किये जाने के कारण रुपये 16.04 लाख तथा राज्यांश के रूप में अतिरिक्त राशि रुपये 151.21 लाख कुल राशि रुपये 167.25 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,67,25,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14

बुन्देलखण्ड वि.वि. की स्थापना हेतु अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता की राशि रुपये 625.00 लाख शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,25,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 23

उच्च शिक्षा विभाग के अन्तर्गत महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के संबंध में भवन निर्माण/अतिरिक्त निर्माण कार्यों के लिये कुल राशि रुपये 2643.18 लाख का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,43,18,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 45

**मद क्रमांक 1**

जल संसाधन विभाग की लघु सिंचाई योजनाओं के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 5000.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

जल संसाधन विभाग के अंतर्गत न्यायालयीन प्रकरणों में डिक्रीधन भुगतान हेतु राशि रुपये 185.33 लाख का प्रावधान किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,85,33,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

मांग संख्या 47

मुख्य शीर्ष 2203

**मद क्रमांक 1 - 4**

तकनीकी शिक्षा संचालनालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

तकनीकी शिक्षा विभाग को भारत सरकार से चार पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों 1. डॉ. भीमराव अंबेडकर भोपाल 2. ग्वालियर महिला पॉलीटेक्निक नक 3. इंदौर जीजाबाई पॉलीटेक्निक नक 4. बुरहानपुर एवं शासकीय महिला पॉलीटेक्निक नक जबलपुर में आतिथ्य क्षेत्र में नये पाठ्यक्रम शामिल किये जाने हेतु रुपये 120.00 लाख शीर्ष 2203 एवं रुपये 80.00 लाख शीर्ष 4202 के अन्तर्गत अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है। इसके अलावा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के अन्तर्गत भारत सरकार से राशि प्राप्त होने की प्रत्याशा में 9 पोलिटेकनिक महाविद्यालयों की स्थापना हेतु (दतिया, उमरिया, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रायसेन, कटनी, अनुपपुर एवं अलीराजपुर) राशि रुपये 2.00 करोड़ का आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 2,00,00,000 सहित रुपये 3,20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

प्रदेश में माईनिंग से संबंधित उद्योगों की तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु माईनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हेतु राशि रुपये 10.00 लाख अतिरिक्त रुप से शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

**मद क्रमांक 7 - 12**

संचालनालय प्रशिक्षण के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 694.82 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,94,82,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

सोहागपुर जिला होशंगाबाद, मुंदी जिला खण्डवा, छनेरा (नया हरसूद) जिला खण्डवा, कुसमी जिला सीधी, पौहरी जिला श्योपुर, राजगढ़ (कोलारस), खुजनेर जिला राजगढ़, डोबी जिला नरसिंहपुर तथा खंडवा (दादा धुनीवाले एवं संत सिंगाजी) में 9 नवीन आई.टी.आई.की स्थापना हेतु रुपये 50.00 लाख के मान से राशि रुपये 4.50 करोड़ की राशि शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु राशि रुपये 4,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 14-32

नेशनल स्कील डेवलपमेंट मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 9,22,400 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,22,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

### मद क्रमांक 33

पोलीटेकनिक संस्थाओं हेतु उप वृहद निर्माण कार्य हेतु रुपये 80.00 लाख अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 49

मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 1-14

अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 867.57 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,67,57,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 50

मुख्य शीर्ष 2053

### मद क्रमांक 1 - 2

बीस सूत्रीय कार्यक्रम का क्रियान्वयन के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 28,24,400 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,24,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 51

मुख्य शीर्ष 2250

### मद क्रमांक 1

धर्मार्थ योजना अन्तर्गत व्यावसायिक सेवाओं की अदायगियां हेतु रुपये 2.75 लाख का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,75,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

माफी विभाग अन्तर्गत मजदूरी मद में रुपये 32,000 अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 32,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

अन्य सामाजिक सेवाएं, अन्तर्गत कम्प्यूटर एवं फर्नीचर क्रय हेतु रुपये 60,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।



**मद क्रमांक 9**

ग्राम पंचायतों पर आदिवासी विकास विभाग द्वारा संचालित उच्चतर माध्यमिक शालाओं में वरिष्ठ अध्यापक, अध्यापक, संविदा शिक्षक वर्ग 1,2,3 एवं शिक्षाकर्मी के मानदेय हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 128.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,28,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

**मद क्रमांक 10**

समग्र स्वच्छता अभियान योजनान्तर्गत स्कूल व आंगनबाड़ी शौचालय की ईकाई लागत में क्रमशः रुपये 15000/ तथा रुपये 3000/ की वृद्धि की गई है। इस हेतु आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 361.07 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,61,07,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 11**

अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को शिक्षा के साथ आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आश्रम संचालित है। निवासरत छात्र-छात्राओं की शिष्यवृत्ति को वर्तमान दरो में उपभोक्ता सूचकांक अनुसार रुपये 175 की वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 536.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,36,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर की शिक्षा एवं आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रीमेट्रिक छात्रावास संचालित है। 50 सीट से कम छात्रावासो को 50 सीट करने की दृष्टि से 1000 अतिरिक्त सीट वृद्धि की जाना है। जिस पर रुपये 51.00 लाख का व्यय संभावित है, तथा शिष्यवृत्ति की वर्तमान दरो में उपभोक्ता सूचकांक अनुसार रुपये 175 की वृद्धि किये जाने से रुपये 509.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है। आदिवासी क्षेत्र उपयोगना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत कुल रुपये 560.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,60,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 55

मुख्य शीर्ष 2235

**मद क्रमांक 1 - 2**

महिला एवं बाल कल्याण संचालनालय के अन्तर्गत महंगाई भत्ता एवं डिक्रीधन का भुगतान हेतु रुपये 61.30 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 46,30,000 के अनुपूरक अनुदान एवं रुपये 15,00,000 के अनुपूरक विनियोग की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3 - 4**

बाल भवनों की स्थापना के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों हेतु रुपये 9.21 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,21,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

निराश्रित महिला गृह सिलाई केन्द्र तथा महिलाओं के लिये संस्था अंतर्गत महंगाई भत्ते में रुपये 11.37 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,37,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2236



**मद क्रमांक 6**

अटल बाल आरोग्य मिशन अंतर्गत राशि रुपये 15.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15.00 करोड़ के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7**

नवीन योजना राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना (सबला) के अन्तर्गत रुपये 10.00 करोड़ (केन्द्रांश एवं राज्यांश) का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम विशेष पोषण आहार योजना के अन्तर्गत सामग्री पूर्ति हेतु राज्यांश रुपये 118.00 करोड़ तथा इतना ही केन्द्रांश रुपये 118.00 करोड़ का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,36,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

**मद क्रमांक 9**

प्रदेश के आंगनवाड़ी भवनों के निर्माण हेतु राशि रुपये 31,24,38,000 का अतिरिक्त व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 31,24,38,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 56

मुख्य शीर्ष 2851

**मद क्रमांक 1**

आयुक्त, हाथकरघा अन्तर्गत पर्यवेक्षक कर्मचारी वृन्द के लिये व्यवसायिक सेवाओं हेतु अदायगिया अन्य में स्वीकृत बजट से रुपये 51,000 अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 51,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2-3**

संचालनालय हाथकरघा के अन्तर्गत एकीकृत कलस्टर विकास योजना में स्वीकृत बजट से रुपये 130.00 लाख के अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,30,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

आयुक्त हाथकरघा एवं हस्तशिल्प के अन्तर्गत हस्तशिल्प विकास हेतु एक नवीन योजना सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी कार्य हेतु स्थापित की जाना है। इस पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5 - 12**

आयुक्त रेशम उद्योग के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 149.83 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,49,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 13**

आयुक्त, रेशम के अन्तर्गत स्पेशल प्रोजेक्ट स्कीम योजना में स्वीकृत बजट से रुपये 26.36 लाख के अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 26,36,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	58
मुख्य शीर्ष	2245

**मद क्रमांक 1**

राहत आयुक्त कार्यालय में निर्देशन और प्रशासन के अंतर्गत रुपये 2,50,000/- की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

आपदा प्रबंधन का प्रचार प्रसार में रुपये 15,00,000/- का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

13वें वित्त आयोग के अंतर्गत (क्षमता निर्माण) में राशि रुपये 5,00,00,000/- का व्यय होना संभावित है। यह राशि मांग संख्या 8 में प्रावधानित राशि समर्पित कर की जायेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	61
मुख्य शीर्ष	4215

**मद क्रमांक 1**

भारत सरकार से बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत बुन्देलखण्ड क्षेत्र की पेय जल आपूर्ति हेतु प्राप्त होने वाली राशि के उपयोग के लिये रुपये 2000.00 लाख के प्रावधान की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	62
मुख्य शीर्ष	2515

**मद क्रमांक 1**

आयुक्त पंचायत राज संचालनालय अंतर्गत पंचायत सचिवों के प्रशिक्षण हेतु शासकीय संस्था योजना में मजदूरी हेतु स्वीकृत बजट से रुपये 4.20 लाख का अधिक व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,20,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

आयुक्त पंचायत राज संचालनालय के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 1588.27 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,88,27,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	63
मुख्य शीर्ष	2225

**मद क्रमांक 1 - 4**

वक्फ कमिश्नर कार्यालय के अन्तर्गत वेतन भत्तों के भुगतान हेतु रुपये 5,71,500 की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,71,500 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5 - 6

वक्फ न्यायाधिकरण के कर्मचारियों के वेतन भत्तों के भुगतान हेतु रुपये 17.69 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,69,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 64  
मुख्य शीर्ष 2055

### मद क्रमांक 1

अनुसूचित जाति कल्याण थानों में आवंटित वाहनो में से 22 जिलो के वाहन कण्डम होने के कारण नीलाम किये गये है। केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति कल्याण थानो के लिये 22 वाहनो का क्रय 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रुप में राशि रुपये 121.00 लाख की लागत से किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,21,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

### मद क्रमांक 2

प्रदेश के जिला मुख्यालय पर एक शासकीय विद्यालय जहा हांकी मैदान उपलब्ध हो चयन कर पूरे वर्ष प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाना है। इस हेतु एक संविदा हांकी प्रशिक्षक, एक संविदा ग्राउण्डमेन, टूर्नामेंट एक्सपोजर, खेल सामग्री, खेल वृत्ति आदि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 22.70 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 22,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3 - 6

खेल अकादमियों की स्थापना योजना अंतर्गत प्रतिभा चयन, खिलाड़ियों के आवास, भोजन, आवश्यक खेल सामग्री व स्पोर्ट्स किट तथा खिलाड़ियों को खेल वृत्ति आदि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 39.76 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 39,76,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 7

खिलाड़ियो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से खिलाड़ियों को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने, राष्ट्रीय चैम्पियनशिप में पदक प्राप्त खिलाड़ियों को पुरस्कार, अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय खेलो में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को खेल वृत्ति / सम्मान आदि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 35.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 35,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

### मद क्रमांक 8

नवीन बुन्देलखण्ड चिकित्सा महाविद्यालय सागर में चिकित्सको एवं प्रवेशित अध्ययनरत छात्रों हेतु परिवहन व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2225

**मद क्रमांक 9 - 13**

क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम योजना अंतर्गत पदस्थ अमले के वेतन, महंगाई भत्ता, चिकित्सा प्रतिपूर्ति, अनाज अग्रिम तथा कार्यालय के डाक एवं तार व्यय हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 7.81 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,81,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 14 - 18**

निदेशन और प्रशासन योजना अंतर्गत पदस्थ अमले के वेतन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, चिकित्सा प्रतिपूर्ति तथा कार्यालय के डाक एवं तार व्यय हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 10.20 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,20,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 19**

ऐच्छिक संस्थाओं को शैक्षणिक और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियों के लिए अनुदान योजना अंतर्गत अशासकीय संस्थाओं में पदस्थ कर्मचारियों के लम्बित वेतन भत्ते के भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 415.06 लाख अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,15,06,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 20 - 24**

अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये प्रदेश में भोपाल, इन्दौर, जबलपुर, रीवा, सागर, ग्वालियर, एवं मुरैना संभागीय मुख्यालयों पर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 74.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 74,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 25**

प्रदेश में संचालित अनुसूचित जाति छात्रावासों में पदस्थ अमले में कार्यभारित/आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों के वेतन हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 25.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 26**

शिक्षित युवकों को स्व-रोजगार हेतु प्रशिक्षण एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु अनुदान योजना का क्रियान्वयन प्रदेश में भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्राप्त राशि से किया जाता है। विगत वर्षों की व्ययगत राशि हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 626.18 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,26,18,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 27**

भारत सरकार की केन्द्र क्षेत्रीय योजना अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र-छात्राओं के प्रावीण्य में उन्नयन अंतर्गत अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के प्रावीण्य में उन्नयन के लिये भारत सरकार द्वारा राशि निर्गमित की गई है। भारत सरकार द्वारा जारी स्वीकृति की शेष अन्तर की राशि रुपये 55.08 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 55,08,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 28**

म. प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारण्टी अधिनियम, 2010 की धारा 3 अंतर्गत म. प्र. अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण आकस्मिकता योजना अंतर्गत राहत व पुर्नवास की राहत राशि समय सीमा में निराकरण न होने पर प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1.50 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 29 - 33**

प्रदेश के विशेष न्यायालयों में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों एवं उनके अमले के वेतन, महंगाई भत्ते, अन्य भत्ते एवं ग्रेड पे हेतु वित्तीय वर्ष में स्वीकृत

राशि के अतिरिक्त रुपये 837.00 लाख की आवश्यकता है तथा 11 जिलों के वाहन कण्डम होने के कारण नीलाम किये गये हैं। केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत 11 वाहनो का क्रय 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश के रूप में राशि रुपये 55.00 लाख की लागत से किया जाना है। इस हेतु वित्तीय वर्ष में कुल रुपये 892.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,92,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2230

### मद क्रमांक 34 - 39

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में स्थापित अंबेडकर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में पदस्थ अमले के वेतन, मंहगाई भत्ते, मकान किराया भत्ता, चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति, ग्रेड पे एवं संस्थाओं के किराया महसूल एवं कर आदि हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत राशि के अतिरिक्त रुपये 50.38 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,38,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

### मद क्रमांक 40

दीनदयाल अंत्योदय मिशन योजना अंतर्गत मुख्य मंत्री कन्यादान योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्ष के आगामी माहों में सामूहिक विवाह संपन्न करवाये जाने हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रु. 300.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 41

नगर निगमों के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पेंशन भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 869.04 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,69,04,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 42

नगर पालिकाओं के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पेंशन भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1303.56 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,03,56,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 43

नगर पंचायतों के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की पेंशन भुगतान हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 2172.61 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 21,72,61,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 44

मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना अंतर्गत श्रमिक वर्ग कल्याण से संबंधित संचालित सभी योजनाओं में एकरूपता लाने पर भूमिहीन खेतीहर मजदूर के परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मृत्यु होने पर रुपये 1.00 लाख की सहायता दी जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत रुपये 350.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

### मद क्रमांक 45

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 227.87 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,27,87,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2405

#### मद क्रमांक 46

मछली पालन विभाग द्वारा संचालित राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में अनुसूचित जाति उपयोजना में प्रावधानित राशि के अतिरिक्त रुपये 1.55 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,55,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801

#### मद क्रमांक 47

अनु. जाति/जनजाति के कृषकों के कुओं तक विद्युत लाइन का विकास, भारत सरकार से विशेष केन्द्रीय सहायता अंतर्गत प्राप्त राशि से किया जाता है। अनुसूचित जाति के कृषकों के खेतों में कपिलधारा योजना अंतर्गत अतिरिक्त कूप निर्माण किए जाने हैं। इस हेतु वित्तीय वर्ष में रुपये 201.50 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,01,50,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

#### मद क्रमांक 48

नवीन महाविद्यालय बुधनी एवं रेहटी (सीहोर) के भवन निर्माण हेतु रुपये 6.00 करोड़ तथा निक्षेप योजना अंतर्गत महाविद्यालयों के भवन निर्माण/कन्या छात्रावास निर्माण हेतु मार्जिन मनी एवं अतिरिक्त निर्माण कार्यों हेतु रुपये 5.60 करोड़ कुल रुपये 11.60 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,60,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

#### मद क्रमांक 49

खेल के विकास हेतु अम्बाह जिला मुरैना में लागत रुपये 40.00 लाख से स्टेडियम निर्माण तथा राड़ी जबलपुर में लागत रुपये 232.64 लाख से मल्टीपरपस हाल का निर्माण कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 65.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 65,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

#### मद क्रमांक 50

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में विविध विकास कार्य हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में प्रावधानित राशि से रुपये 500.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4235

#### मद क्रमांक 51

अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केन्द्रों के लिये भवन निर्माण हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 7.75 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता है, राशि बैकवर्ड रीजन ग्रान्ट फण्ड योजना अंतर्गत प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,75,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4801

#### मद क्रमांक 52

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में धनवेष्टन हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 1910.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,10,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 53

सतपुड़ा ताप विद्युत विस्तार इकाई हेतु धनवेष्ठन योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना में वित्तीय वर्ष में रुपये 200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 54

मालवा ताप विद्युत परियोजना हेतु धनवेष्ठन योजना अंतर्गत अनुसूचित जाति उपयोजना में वित्तीय वर्ष में रुपये 400.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5054

### मद क्रमांक 55

महु रेल्वे ओव्हर ब्रिज का निर्माण लागत रुपये 5.00 करोड़ की लागत से कराया जाना है। इस हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 5.00 करोड़ की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 56

प्रदेश के अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु निम्न स्थान पर मार्ग का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

क्र.	जिला	कार्य का नाम	लंबाई (कि.मी.)	लागत (राशि लाख में)
1	खण्डवा	कैलारी से फतेहपुर	2.50	112.50
2	खण्डवा	खुरगांव वियरनी से बिजोरा भील मार्ग	3.70	131.00
3	खण्डवा	पंधाना रुस्तमपुर मार्ग का निर्माण	4.50	150.00
4	खण्डवा	राजौरा फाटा से डोगरेगांव से कोहदा व्हाया छनेरा सराय मार्ग	11.00	625.26
5	विदिशा	रावण से बम्मोरी मार्ग	3.00	153.00
6	विदिशा	शमशाबाद से मोतीपुरा बीझ मार्ग	7.50	377.00
7	विदिशा	दयानन्द नगर से बोरिया बामनखेड़ा काछीखेड़ा मढैया मार्ग	9.65	358.00
8	बडवानी	बाबनगजा पाटी बोकराटा मार्ग का उन्नयन	37.00	2500.74
9	भोपाल	बिशन खेडी व्हाया शूटिंग रेज से मिलेनियम कालेज तक सड़क	3.15	550.00
10	रायसेन	हिनोतिया महलपुर से धाटखेड़ी तक मार्ग निर्माण	9.50	281.00
11	सागर	भैसवाही चन्द्रपुरा बेलई माफी मार्ग	10.00	350.00
12	सागर	सलैया खरेराभान बिछावर मार्ग	12.00	400.00
13	सागर	दादौनिया बलई माफी पिपरई खान घाटमपुर मार्ग	9.00	315.00
14	सागर	ढाना हिलगन खरेराभान पिपरिया वैद मार्ग	10.50	360.00
15	सागर	मानगढ़ शाहपुर मुरैना मार्ग	10.50	360.00
16	सागर	रहली वायपास मार्ग	6.50	235.00
17	उज्जैन	नागदा बेरछा मार्ग	8.00	248.00
18	उज्जैन	श्री महाकाल सवारी मार्ग का चौड़ीकरण	0.35	422.00
19	भोपाल	ग्राम अचारपुरा जिला भोपाल में विशेष शिक्षा क्षेत्र हेतु मार्ग	15.60	1273.00

20. विदिशा	माटीपुर नान्दौर अम्बर नाला मार्ग का निर्माण	12.00	471.52
21. विदिशा	देहरी पामा रामपुरा से बारोद मार्ग का निर्माण	11.50	452.40
22. विदिशा	आन्दपुर भगवन्तपुर से चिराज नगर खेजड़ा हाली मार्ग निर्माण	6.00	251.62
23. विदिशा	मढ़ी घुरटा पटवारी खेड़ी मार्ग निर्माण	6.60	286.95

उपरोक्त कार्यों पर वित्तीय वर्ष में रुपये 23.00 लाख का व्यय संभावित है, व्यय की पूर्ति स्वीकृत बजट की बचतों से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100/- के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 6801

### मद क्रमांक 57

उप पारेषण एवं वितरण प्रणाली का सुदृढीकरण योजना में ऋण तथा अग्रिम हेतु अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष में रुपये 4457.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 44,57,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 65

मुख्य शीर्ष 2052

### मद क्रमांक 1

विमानन विभाग के अन्तर्गत अतिविशिष्ट व्यक्तियों के लिये किराये पर लिये गये विमान/हेलीकाप्टर के भुगतान हेतु राशि रुपये 2.00 करोड़ व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5053

### मद क्रमांक 2

विमानन विभाग के अन्तर्गत नवीन हेलीकाप्टर क्रय किये जाने हेतु राशि रुपये 4.00 करोड़ की आवश्यकता है। इस हेतु आकस्मिकता निधि से अग्रिम लिया गया था।

अतः अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 4,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 66

मुख्य शीर्ष 2225

### मद क्रमांक 1 - 3

पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 23.90 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 23,90,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभार्थी छात्रों की संख्या में अधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप राशि रुपये 13451.00 लाख के अतिरिक्त व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,34,51,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5-10

पिछड़ा वर्ग राज्य स्तरीय रोजगार एवं प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान तथा फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण, अनुरक्षण कार्य हेतु रुपये 25.83 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।



अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 25,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 11

म.प्र. पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के स्थापना अनुदान के लिये रुपये 20.00 लाख की अतिरिक्त राशि दी जानी प्रस्तावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4225

### मद क्रमांक 12

प्रदेश के जिला मुख्यालयों में पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिये आवासीय सुविधा हेतु 100 सीटर पोस्ट मेट्रिक छात्रावास भवनों के निर्माण के लिये प्रति छात्रावास के मान से 15 जिलों के लिये राज्यांश मद 1088.70 लाख एवं केन्द्रांश मद 700.00 लाख कुल राशि रुपये 1788.70 लाख के व्यय की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,88,70,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 67

मुख्य शीर्ष 2059

### मद क्रमांक 1

कार्यालय भवनों के अनुरक्षण कार्य हेतु रुपये 1000.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 2

शासकीय सेवकों को छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 300.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 3,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 3

गैर आवासीय भवनों के विशेष मरम्मत-अनुरक्षण हेतु राशि रुपये 11.74 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,74,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 4

राज भवन गैर आवासीय भवनों में अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु राशि रुपये 12.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 12,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 5

वेतन भत्ते के एरियर्स आदि के भुगतान हेतु रुपये 1000.00 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

### मद क्रमांक 6

विद्युत एवं यांत्रिकी स्थापना के कार्यभारित आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों को वेतन एवं एरियर्स भुगतान हेतु राशि रुपये 200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2216

**मद क्रमांक 7**

शासकीय आवासीय भवनों के अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 405.88 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,05,88,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 8**

कर्मचारियों के आवासों के अनुरक्षण कार्य हेतु राशि रुपये 1700.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 17,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 9**

कार्यभारित, आकस्मिक सेवा के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 200.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4059

**मद क्रमांक 10**

ग्वालियर स्थित जिला कार्यालय भवन के निर्माण कार्य हेतु राशि रुपये 650.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 6,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 11**

भौमिकी एवं खनिकर्म जिला कार्यालय भवनों के निर्माण कार्यों हेतु रुपये 800.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 12**

जेल सुधारों की योजना अंतर्गत निर्माण कार्यों हेतु राशि रुपये 950.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 69  
मुख्य शीर्ष 5425

**मद क्रमांक 1**

नेशनल ई-गवर्नेंस परियोजना अंतर्गत प्रदेश में स्टेट डाटा सेन्टर की स्थापना हेतु मांग संख्या 69-3425 से रुपये 5.45 करोड़ की राशि समर्पित करते हुये मांग संख्या 69-5425 में अधोसंरचना निर्माण करने हेतु शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,45,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 72  
मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 1 - 5**

गैस राहत विभाग के अंतर्गत के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स एवं मजदूरी के भुगतान हेतु रुपये 184.81 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,84,81,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 73  
मुख्य शीर्ष 2210

**मद क्रमांक 1 - 20**

चिकित्सा शिक्षा के अंतर्गत के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स सहायक अनुदान आदि के भुगतान हेतु रुपये 53,70,21,100 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 53,70,21,100 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

**मद क्रमांक 21-23**

भोपाल में निर्माणाधीन एम्स के लिये विद्युत पारेषण प्रणाली के कार्य चिकित्सा महाविद्यालय, जबलपुर में न्यूरोसर्जरी की स्थापना, चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय के निर्माण कार्यों हेतु रुपये 7,54,50,200 का अतिरिक्त व्यय अनुमानित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 7,54,50,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 74  
मुख्य शीर्ष 2202

**मद क्रमांक 1**

आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय के अंतर्गत वेतन भत्तों के लिये राशि रुपये 937.16 लाख शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 9,37,16,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2215

**मद क्रमांक 2**

विकास आयुक्त के अंतर्गत समग्र स्वच्छता अभियान योजना में स्वीकृत बजट से रुपये 449.92 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 4,49,92,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2515

**मद क्रमांक 3**

आयुक्त पंचायत राज संचालनालय के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पुरस्कार योजना में स्वीकृत बजट से रुपये 248.25 लाख अधिक व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,48,25,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

विकास आयुक्त के अन्तर्गत बी. पी. एल. सर्वे नामक नवीन योजना स्थापित की जाना है, इस योजना के लिये रुपये 860.39 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 8,60,39,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 75  
मुख्य शीर्ष 2217

**मद क्रमांक 1**

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अन्तर्गत मंडला समागम हेतु रुपये 487.00 लाख के व्यय होने की संभावना है। इस हेतु आकस्मिकता निधि से अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 4,87,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

नगरीय जल प्रदाय योजना के लिये एक मुस्त केन्द्रीय सहायता रुपये 3809.00 लाख के व्यय होने की संभावना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 38,09,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2010 के लिये रुपये 1.00 करोड़ की स्वीकृति आकस्मिकता निधि से दी गई है। अतः इस अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रुपये 1.00 करोड़ शामिल किया जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत नगर पंचायतो को जल प्रदाय योजनाओं के लिये एक मुस्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता हेतु वर्ष 2010-2011 में राशि रुपये 36.91 करोड़ की राशि नवीन मद के रूप में शामिल की जाना है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 36,91,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत नव निर्वाचित महिला पार्षदों के लिये प्रशिक्षण नामक नवीन योजना स्थापित किया जाना है, जिस पर राशि रुपये 50.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 50,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अंतर्गत शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण हेतु रुपये 1.00 करोड़ का व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,00,00,000 अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या	77
मुख्य शीर्ष	2202

**मद क्रमांक 1**

संयुक्त संचालक कार्यालयों होशंगाबाद एवं शहडोल हेतु वाहन क्रय करने हेतु रुपये 10.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 2**

शारीरिक शिक्षा एवं खेलकूद के अंतर्गत राष्ट्रीय शालेय प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को पदक प्रदाय किये जाने हेतु राशि रुपये 15.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 15,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 3**

निःशुल्क पाठ्य सामग्री प्रदाय कराये जाने हेतु म.प्र. पाठ्य पुस्तक निगम को राशि रुपये 282.83 लाख अतिरिक्त शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,82,83,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 4**

स्कूल शिक्षा (प्रारंभिक शिक्षा को छोड़कर) केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत राशि रुपये 6400.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 64,00,00,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 5**

माडल स्कूलों की स्थापना हेतु रुपये 1150.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 11,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 6**

शिक्षको को प्रोत्साहन हेतु दसवीं एवं बारहवी कक्षा के लिये क्रमशः रुपये 4,000 एवं रुपये 5,000 का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप रुपये 30.00 लाख की अतिरिक्त रुप से शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 7-23**

मांग संख्या 77-2202 के अंतर्गत वेतन भत्तों के लिये राशि रुपये 13380.29 लाख अतिरिक्त रुप से शामिल की जा रही है, जिसका समायोजन अन्य मदों की बचत से किया जावेगा। उक्त राशि में रुपये 60.00 लाख डिक्रीधन के भुगतान के लिये शामिल है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,00,000 के अनुपूरक विनियोग एवं रुपये 1,33,80,29,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 24**

शिक्षक दिवस के आयोजन के फलस्वरूप रुपये 19.00 लाख नेशनल फाउन्डेशन फार वेलफेयर फण्ड के अंशदान के रुप में राशि रुपये 19.00 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 19,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 25**

राष्ट्रीय स्तर की शालेय प्रतियोगिताओं में स्वर्ण, रजत, कास्य पदक विजेता खिलाड़ियों को राशि रुपये 10,000, 7500,5000 प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने के लिये रुपये 190.00 लाख अतिरिक्त रुप से शामिल की जा रही है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,90,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2204

**मद क्रमांक 30**

राष्ट्रीय छात्र सेना के अन्तर्गत अपलेखित वाहन के विरुद्ध एक वाहन क्रय किये जाने हेतु राशि रुपये 2,10,000 की आवश्यकता है। राशि की व्यवस्था स्वीकृत बजट की बचत से की जावेगी।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 26-29**

राष्ट्रीय छात्र सेना को कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं छठवें वेतनमान के एरियर्स के भुगतान हेतु राशि रुपये 162.66 लाख की अतिरिक्त रुप से आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 1,62,66,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2205

**मद क्रमांक 31-32**

कला एवं संस्कृति के अन्तर्गत सरकारी पुस्तकालयों के कर्मचारियों को छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान हेतु रुपये 60.72 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 60,72,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 33**

हायर सेकेण्डरी स्कूलों में भवन निर्माण एवं रख-रखाव हेतु राशि रुपये 5.00 करोड़ की अतिरिक्त रूप से शामिल की जा रही है, जिसका समायोजन अन्य मदों से किया जायेगा।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 78

मुख्य शीर्ष 2401

**मद क्रमांक 1-25**

संचालक उद्यानिकी के अन्तर्गत छठवें वेतनमान में वेतन पुनरीक्षण के फलस्वरूप वेतन भत्तों के एरियर्स भुगतान करने हेतु रुपये 1384.02 लाख की अतिरिक्त आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 13,84,02,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 26**

उद्यानिकी संचालनालय के अन्तर्गत राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिये स्वीकृत बजट से रुपये 2040.95 लाख की अतिरिक्त राशि की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 20,40,95,000/- के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मांग संख्या 79

मुख्य शीर्ष 2810

**मद क्रमांक 1 - 20**

नवीन एवं नवकरणीक ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत नवगठित विभागाध्यक्ष, आयुक्त अपरंपरागत ऊर्जा, म.प्र. के लिये स्वीकृत 15 पदों के वेतन भत्तों पर रुपये 28,18,400 व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 28,18,400 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 21**

सौर ऊर्जा पार्क, राजगढ़ जिला राजगढ़ हेतु अधोसंरचना मद में रुपये 203.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,03,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 22**

संकल्प, 2010 के तहत अपरंपरागत ऊर्जा स्त्रोत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सौर गर्म जल संयंत्रों के लिये रुपये 30.00 लाख की आवश्यकता है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 30,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

**मद क्रमांक 23**

संकल्प, 2010 के तहत अपरंपरागत सौर फोटोवोल्टिक पावर प्लांट हेतु रुपये 200.00 लाख का व्यय होना संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु रुपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।